राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

सोमवार

दिनांक 26 फरवरी, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 : 49 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

शपथ

श्री दाताराम द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अध्यक्ष : शपथ अथवा प्रतिज्ञान।

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : श्री दाता राम।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : पहले की गलती रिपोट नहीं की गई है। गलती सुधार ली गई है।

[श्री दाताराम (रूपवास) ने शपथ ग्रहण की]

सदन पटल पर रखा गया पत्र

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति

श्री अध्यक्ष : सचिव महोदय।

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : महोदय, मैं श्रीमान् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

भूतपूर्व शासनाध्यक्ष के निधन पर अलग शोक प्रस्ताव

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आइटम नं. 3 की ओर आकर्षित करता हूं। आपने लिखा है निम्नांकित व्यक्तियों के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा:—

1. श्री जोगेन्द्रसिंह

2. श्री अभय सिंह

मेरा निवेदन है कि भूतपूर्व शासनाध्यक्ष का अलग अजेंडा में उल्लेख होना चाहिये था और उनके निधन पर सदन में मुख्य मंत्री की तरफ से अलग शोक प्रस्ताव रखा जाना चाहिये था। शासनाध्यक्ष के नाते वह विधान सभा के सर्वोच्च व्यक्ति थे। जैसे अभी आपने परम्परा कायम की कि राज्यपाल को बड़ी कुर्सी पर बिठाया और आप छोटी कुर्सी पर विराजे। इसका मतलब सदन में सबसे ऊपर संवैधानिक अधिकार राज्यपाल महोदय को दिए हुए हैं। मुझे यह बात अखरी है। अभी भी इसमें सुधार किया जाना

(श्री रामनारायण चौधरी)
चाहिए। इसके लिए सैपरेट शोक प्रस्ताव होना चाहिए और सदन को सैपरेट शोकाभिव्यक्ति करनी चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह संविधान की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सदन के नेता महोदय को सदन के सामने क्षमा याचना करनी चाहिए।

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़) : क्षमा याचना किस बात की ?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। जहां तक मेरा अनुमान है, यह व्यवस्था, सदन की परम्परा के प्रतिकूल नहीं है। भूतपूर्व राज्यपाल सम्पूर्णानन्दजी के निधन के समय जो व्यवस्था हुई होगी, उसके अनुसार ही यह किया गया होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अलग प्रस्ताव था। आप देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैं और भी देख लूंगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : कुछ पिछली परम्पराओं को छोड़ना चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह अलग बात है।

(व्यवधान)

यह सैद्धांतिक सवाल है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : कौन सा सैद्धांतिक सवाल है ?

श्री मदन सिंह दांता (दांतारामगढ़) : यह शोक प्रस्ताव का सवाल है, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

सरदार श्री जोगेन्द्र सिंह, भूतपूर्व राज्यपाल (राजस्थान) व सर्वश्री अभयसिंह व कन्हैया लाल के निधन पर शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल श्री जोगेन्द्र सिंहजी का देहावसान पिछले दिनों में हुआ। इस जानकारी से हम सबको बहुत ही दुःख हुआ है।

सरदार साहब राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त होने से पूर्व उड़ीसा के राज्यपाल थे। उससे पहले वे राज्य सभा के सदस्य रहे, लोकसभा के भी सदस्य रहे और कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली के भी सदस्य रहे। प्रारम्भ में वे विधान सभा के सदस्य भी रहे। वे एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे, उनके अनुभव का लाभ सारे देश को मिलता रहा।

मैं समझता हूं राजस्थान में उनके कार्यकाल में उन्होंने राज्यपाल के पद को बहुत ही शोभायमान किया है। माननीय सदस्यों व जनता से उनका सीधा सम्पर्क था, जो भी उनके सम्पर्क में आये वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वे कितने मृदुभाषी और विनोदप्रिय थे। साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति, सदन की गरिमा के प्रति, संविधान के प्रति जिस प्रकार उनकी आस्था थी, वह हम सबके लिए अनुकरणीय है।

दुर्भाग्य से चुनाव के पश्चात् एक दुर्घटना में उनके पैर में चोट आ गई थी। उसके उपचार हेतु वे रोगी की हैसियत से कई बार यहां आया करते थे। मैं समझता हूं जितनी बार वे यहां आए हैं, मैं उनसे मिला हूं। पीड़ा में भी जिस प्रकार का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
उत्साह उनमें था वह वास्तव में सब लोगों के लिए बहुत ही अनुकरणीय रहा।

उनके देहावसान से हम सबको बहुत दुःख हुआ है। मैं सदन के सामने प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस प्रस्ताव को सदन पारित करे।

दो माननीय सदस्य, श्री अभयसिंह व श्री कन्हैयालाल जो 1967 से लेकर 1972 तक इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं, का भी इस काल में देहावसान हुआ है।

श्री अभयसिंह जी राजनैतिक क्षेत्र में कई वर्षों से काम करते आये थे। वे पंचायत के सरपंच भी थे, पंचायत समिति के भी सदस्य रहे और इस सदन के भी सदस्य रहे। सदन की कार्यवाही में वे काफी भाग लिया करते थे।

इसी प्रकार से श्री कन्हैयालाल जी जयपुर के पास एक जटवाड़ा गांव के रहने वाले थे। उनका भी असामयिक निधन हम सब के लिए दुःख का कारण है। श्री कन्हैया लाल जी अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। मुझे याद है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वे मंत्रियों के पास तो जाते ही थे लेकिन हम लोगों की भी सेवायें उस क्षेत्र में किस प्रकार से अर्पित की जा सकें उसके लिए भी बराबर हम लोगों से कहा करते थे।

मैं यह प्रस्ताव रखना चाहूंगा, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी और श्री अभयसिंह जी की आत्मा को शांति और उनके शोक संतप्त परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के माननीय नेता महोदय ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

इस देश के संसदीय इतिहास में इने-गिने लोगों में स्वर्गीय सरदार साहब का नाम हमेशा ऊपर की श्रेणी में अंकित रहेगा। 1934 से सैन्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्य से लेकर कान्सटीटुएन्ट असेम्बली, प्रावीजनल पार्लियामेन्ट और राज्य सभा के भी वह सदस्य रहे। यह सौभाग्य देश के एक दर्जन से कुछ कम लोगों को मिला है। सरदार साहब एक किसान परिवार से थे। स्वतंत्रता के आन्दोलन के अन्दर छोटे से सिपाही से प्रारम्भ करके वह एक कमाण्डर की हैसियत पर पहुंचे थे।

अध्यक्ष महोदय, एक दफा मैं उनके जन्म दिवस पर बधाई देने के लिए उनके दिल्ली के निवास स्थान पर गया तो उस समय हमारी भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्री श्री बहुगुणा जी भी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के समय जब वह जेल में थे तब जेल के कर्मचारियों और आफिसर्स और उस समय अंग्रेज जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट थे उनको अपने व्यवहार से इतना उन्होंने वशीभूत कर लिया था कि जिस चीज की हमें, कैदियों को आवश्यकता होती थी वह हम सरदार साहब के कमरे में जाकर बता देते थे, और वह उपलब्ध करा दी जाती थीं।

(श्री परसराम मदेरणा)

वह स्वतन्त्रता के सेनानी थे। साथ ही साथ स्पष्ट वक्ता भी थे। वह स्वयं का चिन्तन और विचार भी रखते थे और उनकी अपनी स्वयं की मान्यतायें भी थीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय......

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इस देश की स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के अवसर पर जो विशेष अधिवेशन विधान सभा का हुआ था उसमें उन्होंने अपने चिन्तन और मान्यताओं के अनुरूप उद्गार प्रकट किये और जो यहां पर राष्ट्रीय स्थिति का दिग्दर्शन कराया इससे प्रतीत होता है कि वह राष्ट्र प्रेमी और सच्चे देशभक्त थे और धर्मनिरपेक्षता के प्रगाढ़ अनुयायी थे।

हमारे राज्य में जब कभी भी राज्य की जनता प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित हुई वह चाहे बाढ़ हो या चाहे अकाल से प्रभावित हुई हो वह पहले राज्यपाल थे जो कि जनता से उसी समय सीधा सम्पर्क करते थे, स्थिति का स्वयं निरीक्षण करते थे और सरकार के मंत्रियों को और अधिकारियों को भी निर्देश दिया करते थे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि वे मिलनसार ही नहीं बल्कि बहुत ही लोकप्रिय राज्यपाल रहे हैं। राज्यपालों की लोकप्रियता की यदि कोई श्रेणी बनेगी तो उसमें तीसरे स्थान पर सरदार जोगेन्द्रसिंह जी रहेंगे। स्वर्गीय सरदार साहब, मुख्य मंत्री जी जानते हैं, की विरोधी पक्ष के नेताओं से मिलने में विशेष रुचि रही है। उनकी बातें वह सुनते ही नहीं थे बल्कि अपनी अभिव्यक्ति को भी स्पष्ट रूप में रखते थे और राज्य के कामकाज की पूछताछ भी करते थे। वह ऐसे व्यक्ति थे जो स्वतन्त्रता सेनानी रहे, संसदीय इतिहास में जिनका विशेष स्थान था। राज्य के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने जो परम्परायें स्थापित की हैं उससे समाज सदा ऋणी रहेगा, कृतज्ञ रहेगा। वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी उनके जीवन से सदा प्रेरणा लेती रहेगी। मैं अपने दल की ओर से और स्वयं अपनी ओर से स्वर्गीय सरदार साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी आत्मा की चिर शांति के लिये परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं।

इसी प्रकार से दो विधान सभा के माननीय सदस्य स्वर्गीय श्री अभयसिंह जी और श्री कन्हैयालाल जी का इस सदन के अन्दर अच्छा योगदान रहा है। वह भी मिलनसार और कर्मठ कार्यकर्ता थे। उनके निधन से भी राजस्थान के सार्वजनिक जीवन में रिक्तता आई है। उनके प्रति भी मैं अपने दल की ओर से और मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी आत्माओं की चिर शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं और उनके संतप्त परिवार के प्रति भी संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, सदन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम लोगों को पहले वालों के प्रति शोक प्रस्ताव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दुनियां से आत्मायें चली जाती हैं लेकिन प्राणवान व्यक्ति जाकर भी अमर हो जाते हैं।

सरदार श्री जोगेन्द्र सिंह जी के निधन पर सदन के नेता महोदय ने प्रस्ताव रखा

(श्री मूलचन्द डागा)

और उसका समर्थन विरोधी दल के नेता ने किया है। मैं समझता हूं कि उनका जो राजनैतिक इतिहास रहा है वह बिल्कुल मस्जिद की तरह पाक और गंगा की तरह पवित्र रहेगा। उनके जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं। जो आपने बताया है और उनके जीवन की जो बातें हैं वह अपने जीवन में हम उतार लें यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। मैं समझता हूं कि कुछ आत्मायें अपना व्यक्तित्व छोड़ जाती हैं उसके कारण हमारा देश और समाज धनी हो जाता है। इसलिये हम उनका ऋण किस रूप में चुका सकते हैं? केवल एक ही तरीका है कि हम उनके बताये हुये मार्ग पर चलें।

मैं इस अवसर पर अपनी ओर से अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति भी संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आशा है कि हमारा जो प्रस्ताव है वह आप उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

इसी प्रकार से जिन दो माननीय सदस्यों के लिए शोक प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करते हुए मेरी ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे भूतपूर्व राज्यपाल श्री जोगेन्द्र सिंह के निधन पर जो शोक प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

सरदार साहब लम्बे समय तक हिन्दुस्तान के राजनैतिक जीवन में रहे व हमारे प्रदेश में भी और दूसरे प्रदेशों में भी सम्मानित उच्च पदों पर आसीन भी रहे। ऐसे व्यक्ति का निधन होता है वह हमसे बिछुड़ जाता है तो स्वाभाविक बात है कि उनका बिछुड़ना हमारे सबके लिये परेशानी का कारण बन जाता है।

इसके साथ ही हमारे दो माननीय सदस्यों, जिन्होंने राजस्थान के राजनैतिक जीवन में रहकर लोगों की सेवा की; का निधन हम लोगों के लिये कष्टदायक है। विशेषकर ऐसे मौके पर जबकि देश एक राजनैतिक दौर से गुजर रहा है ऐसे कार्यकर्ताओं की राजस्थान के अन्दर जरूरत थी। ऐसे मौके पर उनका निधन और भी कष्टदायक है हम लोगों के लिए। मैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आशा करता हूं कि तीनों महान विभूतियों के परिवार को सदन के अन्दर प्रस्तुत शोक प्रस्ताव से बल मिलेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की तरफ से राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल सरदार श्री जोगेन्द्रसिंह के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

इसी सदन के दो माननीय सदस्य, श्री कन्हैयालाल व श्री अभय सिंह की आत्मा को भी ईश्वर शांति प्रदान करें।

श्री तूगा (मसूदा): अध्यक्ष महोदय, सरदार जोगेन्द्रसिंह जी को मुझे नजदीक से देखने का एक दफा मौका मिला। जब अकाल पड़ा था, अकाल के टाइम में अजमेर के दौरे समय बरसात थी, उस समय उनके द्वारा तय किये हुए कार्यक्रम को उन्होंने पूरा किया। देश में, ऐसे महान आदमी, जो देश सेवा के

(श्री नूरा)

लिये अपना जीवन देते हैं, अपना समय देते हैं, इस दुनियां को छोड़ कर जाने के बाद भी अपने काम की वजह से अमर होते हैं। ऐसे समझदार आदमियों का जब स्वर्गवास होता है तो बहुत बड़ी कमी होती है।

दो अन्य साथियों का भी स्वर्गवास हो गया है। उनके कार्यों को देखने से साफ जाहिर होता है कि वे अपने लिये नहीं बल्कि राजस्थान के लिये कार्य करते थे। ऐसे आदमियों की कमी की पूर्ति बड़ी मुश्किल से होती है।

उनका स्वर्गवास हो जाने पर उन्हें मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को शक्ति मिलेगी, ऐसी आशा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन के माननीय नेता और माननीय सदस्यों ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनके साथ मेरी भावनायें मैं सम्मिलित करता हूं।

माननीय भूतपूर्व राज्यपाल महोदय जोगेन्द्र सिंह के संबंध में जो कुछ भी कहा जाये वह कम है। उनके संबंध में सदन के माननीय नेता, विरोधी पक्ष के नेता ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनके साथ दो शब्द मैं अपनी ओर से भी कहना चाहूंगा। भूतपूर्व राज्यपाल महोदय श्री जोगेन्द्र सिंह जी देश के एक रत्न थे। उनमें धार्मिक भावनायें कूट-कूट कर भरी हुई थीं लेकिन उनका आचरण धर्म निरपेक्षता को लेकर जो था वह अद्वितीय और अनुकरणीय है। भारत वर्ष के नेताओं में बहुत कम नेता ऐसे होंगे जो स्वतंत्रता के पूर्व समय की विधान सभा, सैन्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्य रहे हों, विधान परिषद् के सदस्य रहे हों, कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली के सदस्य रहे हों, लोकसभा के सदस्य रहे हों और राज्य सभा के सदस्य रहे हों और दो राज्यों के राज्यपाल रहे हों। ऐसा सौभाग्य बहुत ही कम विरले आदमियों को प्राप्त होता है। हमारे बीच में आज सरदार साहब नहीं है लेकिन उनकी स्मृति अमर है। भारतीय नागरिक के रूप में एक आदर्श नागरिक का जो जीवन वह छोड़कर गये हैं उससे हमको प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिये।

चुनावों के पश्चात् गम्भीर रूप से घायल होने के बाद वे यहां पर आये। उनसे मुझे तब भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राज्यपाल थे तब भी मैं उनसे एक दो बार मिला। उनकी बातों से यह स्पष्ट हुआ, वह अपने आपको सर्वप्रथम देश भक्त मानते थे। देश को प्राथमिकता देना वह अपना कर्तव्य समझते थे। वह चाहे किसी भी दल विशेष के अन्दर रहे हों, उसके प्रति अपार श्रद्धा थी। फिर व्यक्ति और परिवार के संबंध में जो कुछ भी करना कराना हो, दिनचर्या के अन्दर, वे किया करते थे।

मैं ऐसे महापुरुष, अनुभवी व्यक्ति के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी महान् आत्मा को शांति प्रदान करें।

माननीय अभय सिंह तृतीय विधान सभा के और कन्हैया लाल जी चतुर्थ विधान सभा के सदस्य थे। वे लोकप्रिय और मिलनसार

(श्री अध्यक्ष)

थे। उनके निधन से उनके क्षेत्र में भारी क्षति उत्पन्न हुई है। प्रभु उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवारों को धैर्य दे।

इन्हीं शब्दों के साथ सदन की परम्परा के अनुसार माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो मिनट के लिये मौन खड़े रह कर प्रस्ताव पारित करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगतों की आत्माओं की शांति के लिये प्रार्थना की व उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।)

व्यवस्था का प्रश्न

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि उपरांत सदन की कार्यवाही

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़): अध्यक्ष महोदय, गोकुल भाई भट्ट साहब ··

श्री अध्यक्ष : आज का जो कार्यक्रम है वह सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र का है।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब कभी शोक प्रस्ताव होता है उसके बाद सदन में किसी प्रकार के पेपर्स ले डाउन नहीं किये जाते। यह परम्परा है।

When obituary references are made in the House, the other business should not be transacted thereafter.

मैं समझता हूं यह परम्परा तोड़ना अच्छा नहीं है। अभी शोक प्रस्ताव पास किया उसके तुरन्त बाद ही जो पेपर्स ले डाउन करने की कार्यवाही कर रहे हैं, वह गलत परम्परा है और अच्छी नहीं है। इसकी सारी गंभीरता को आप देखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं माननीय सदस्य काफी पुराने सदस्य हैं। इन्होंने पहले भी इस सदन में शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन की मेज पर पत्रों को रखते हुए देखा होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आप एक उदाहरण दे दें।

(व्यवधान)

आप तो यहां रहे हुए हैं।

श्री मूलचंद डागा : मैं समझता हूं पहले ऐसी परम्परा थी। और अगर नहीं भी रही हो तो अब मेरा यही निवेदन है कि आबीचुअरी रेफरेंसेज के बाद इस तरह के पेपर्स सदन की मेज पर नहीं रखने चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह जानते हैं फिर भी परम्पराओं की दुहाई देते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, एक भी उदाहरण बता दिया जाय। इस सन्दर्भ में, मैं यदि यह कहूं कि इसी पर्पज के लिये सदन की कार्यवाही हुई हो तो बात अलग है वर्ना हमेशा बिजनेस ट्रान्जेक्ट हुआ है। आप इस तरह का कोई उदाहरण बता दें।

(व्यवधान)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, लोक सभा में भी ग्राबीचुअरी रेफरेन्सेज हुए हैं उसके बाद सदन की मेज पर पत्र रखे हैं। इस विधान सभा में भी माननीय मूल चन्द जी डागा को देखना चाहिये कि ग्राबीचुअरी रेफरेन्सेज के बाद कार्यवाही चली है, सदन की मेज पर कागज रखे गये हैं। ग्राज जिन पेपर्स को सदन में रखा जा रहा है वे ऐसे पत्र हैं जो जब हाउस प्रारम्भ हो, उसी दिन ले डाउन किये जायें। इसलिये परम्परा की दुहाई देकर परम्परा को तोड़ने की बात नहीं कहा जाय। हम कहीं उससे अलग जा रहे हों तो बता दें। इसलिये माननीय डागाजी को जो बात कहनी थी, वह उन्होंने कह दी। अब वे शान्त रहें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (भुंभुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि शोकाभिव्यक्ति होने के बाद एक बार एडजार्नमेंट होता ही है हाउस का। फिर दुबारा मिल सकते हैं। लेकिन एकदम, इमीजियेटली इस तरह बिजनेस ट्रान्जेक्ट करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक बार एडजार्न करके ग्राज के दिन ही ग्राप पेपर ले कर सकते हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय ग्रध्यक्ष जी, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के जो नियम हैं, उन नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी भी ग्रध्यादेश को प्रख्यापित करने के बाद पहले दिन की विधान सभा की बैठक में उसकी प्रतिलिपि निश्चित तौर से सदन की मेज पर रखी जाय, ऐसी कोई परम्परा नहीं है। बाद में भी रखी जा सकती है। सदन के नेता महोदय परम्परा की दुहाई की बात कह रहे हैं, तो परम्परा की दुहाई तो इसलिये दी जाती है कि जो सदन की परम्परा और लोक सभा की परम्परा रही है वह ग्राम तौर से सुरक्षित रखी जाय। ग्राज जो शोक प्रस्ताव रखा गया है स्वर्गीय माननीय राज्यपाल महोदय, ग्रौर दूसरे माननीय सदस्य के लिये रखा गया है। उनके प्रति रेस्पेक्ट का प्रश्न है वह मुख्य प्रश्न है। जिस दिन छुट्टी हुई थी, राज्य सरकार ने उनके स्वर्गवास पर छुट्टी की थी उस दिन भी विधान सभा में बहुत सी कमेटियों की बैठकें हो रही थीं। तह प्रश्न भी ग्राया था कि बिजनेस ट्रान्जेक्ट किया जाय या नहीं किया जाय। बाद में यही तय किया गया था कि राजस्थान के राज्यपाल रहने से उनका एक विशिष्ट स्थान था। माननीय सदस्यों ने भी इसका उल्लेख किया है। उनके प्रति सर्वोच्च सम्मान प्रकट करने के लिये समिति की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। ग्राज भी ऐसा ही ग्रवसर है मैं समझता हूं कई दफा हम शोक प्रस्ताव पास करने के बाद सदन में बैठे होंगे ग्रौर लोक सभा में भी यही परम्परा होगी लेकिन राज्यपाल महोदय हमारे राजस्थान के थे ग्रौर राज्यपाल के ग्रलावा उनका राजनैतिक ग्रौर सार्वजनिक जीवन में भी एक विशिष्ट स्थान था। ऐसे व्यक्ति जिन का इतना बड़ा स्थान है, श्रद्धांजलि देने के रूप में हमने शोक प्रस्ताव पारित किया है तो ग्रौपचारिक रूप से उसके बाद में बिजनेस ट्रान्जेक्ट करना कोई ग्रच्छी बात नहीं होगी। ग्रतः मुख्य मंत्री जी को मेरा यही निवेदन है कि उनके

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रति सम्मान जाहिर करने के लिये निश्चित रूप से आज सदन की कार्यवाही नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने जो आपत्ति प्रकट की है उसके प्रति एक हद तक तो मेरी सहानुभूति है किन्तु जहां तक बिजनेस का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि आज का बिजनेस सदन की परम्पराओं के विपरीत तो नहीं है। सदन सोवरिन है। अगर सदन की यह इच्छा है कि भविष्य में आबीचुअरी रेफरेन्सेज के बाद, शोकाभिव्यक्ति के बाद में कार्यवाही हो या नहीं हो तो मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कल बुलाऊंगा और उसमें इस संबंध में विचार किया जायगा। उसके पश्चात् जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी। जो कुछ विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने कहा है, उस पर मैं गंभीरता पूर्वक विचार करूंगा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री मूलचन्द डागा : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है इसमें। साधारणतया सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रों का विरोध नहीं होता है लेकिन जो पत्र सदन की मेज पर रखे जा रहे हैं, मुझे उन पर गंभीर आपत्ति इसलिये है कि यह जो कार्यवाही राजस्थान सरकार की है . .

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जो आब्जेक्शन था, माननीय डागाजी का, उस पर आपका क्या निर्णय हुआ। आपने कहा, उस पर विचार करेंगे। अभी क्या निर्णय हुआ ?

श्री अध्यक्ष : कोई भी बिजनेस आज इसके अतिरिक्त नहीं लिया जा रहा है। पार्लियामेंट में क्या व्यवस्था होती है, और विधान सभाओं में क्या व्यवस्था होती है, हैड आफ दी स्टेट राज्यपाल महोदय के निधन पर शोक प्रस्ताव के बाद क्या हो, यह विचार कर लिया जायगा। यह सदन तो अमर है, इस पर बाद में विचार कर सकते हैं। मैंने अभी तो अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट किये हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

विधान सभा को आहूत करने के उपरांत अध्यादेश का प्रख्यापन

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय जो राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1979) सदन की मेज पर रख रहे हैं, यह एक काला अध्यादेश है जिसको निकालने का निर्णय राजस्थान की सरकार ने उस समय किया जब कि विधान सभा बुला ली गई थी। यह इस सदन का और आपका दोनों का अपमान है। मैं चाहूंगा मुख्य मंत्री जी इसके लिये क्षमा याचना करें। आज इस अध्यादेश को सदन की मेज पर रखने की अनुमति नहीं दें।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि उपरांत सदन की कार्यवाही

श्री मूलचन्द डागा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह कहना चाहता हूं. . .

श्री अध्यक्ष : अब और क्या व्यवस्था है ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में परामर्श करके भविष्य के लिये जो कुछ निर्णय होगा उससे आप सदन को अवगत करायेंगे उसके लिए तो हम आपके बहुत आभारी हैं, लेकिन जो हमारे इस राज्य के सर्वोच्च अधिकारी रहे हैं या विधान सभा के माननीय अध्यक्ष भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं उनके सम्बन्ध में भविष्य के लिये एक नजीर बनेगी। हम ऐसा महसूस करते थे कि भूतपूर्व राज्यपाल इस राज्य के ही सर्वोच्च अधिकारी नहीं थे अपितु जैसी आपने अभी यहां पर अभिव्यक्ति की, वे देश में विशिष्ट स्थान रखते थे। उनके निधन पर शोकाभिव्यक्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार का बिजनेस ट्रांजेक्ट करना और उसको करने में भी पूर्व परम्परा की बात कहना, और यह कहना कि कोई अनुचित परम्परा नहीं डाली जा रही है, उचित नहीं है। इसलिए इस अवसर पर जो दूसरा बिजनेस ट्रांजेक्ट किया जा रहा है उसमें मैं और मेरा दल भागीदार नहीं बनना चाहता। इसलिए मैं और मेरे दल के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं।

(बहिर्गमन)

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मेरा जो व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्रीमती उजला अरोडा : डागा साहब, पहुंचाने तो जाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन करके गए हैं, उनको मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्वर्गीय राज्यपाल महोदय के प्रति हमारे दिमाग में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। यदि हम चाहते तो आज सदन की मेज पर केवल जो कागज रखे जायेंगे उनके अतिरिक्त और भी बिजनेस ले सकते थे। हमने उनके सम्मान के लिए ही इस प्रकार की व्यवस्था की कि जो अत्यावश्यक कागज हैं वह सदन की मेज पर रख दें बाकी का बिजनेस भविष्य में लें। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय सरदार जोगेन्द्रसिंहजी के प्रति हमारे दिमाग में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। मैं भी उसी प्रकार से उनका सम्मान करता हूं जिस प्रकार से विरोधी दल के नेता महोदय ने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं। मैं इस आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को लेकर जो वाक आउट किया है उससे किसी प्रकार की दुर्भावना पैदा न हो।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : इससे सदन की गरिमा बढ़ती।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दें। उसके बाद फिर अपन बैठ जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 12.34 बजे 15 मिनट के लिये स्थगित हुई)

सदन की कार्यवाही पुनः म प. 12.50 बजे प्रारम्भ हुई

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक का माननीय सदस्यों को परिचालन

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : Again point of order.

श्री मूलचन्द डागा : Yes. Sir.

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री) : अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वैक्यूम में कोई पाइन्ट आफ आर्डर रेज नहीं होता है। इससे पहले कि कोई बिजनेस नहीं हो। किस बात पर यह आपत्ति उठाई जा रही है?

कई माननीय सदस्य : हियर, हियर।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : एडजार्न होने के बाद यह बिल रख रहे हैं, आर्डिनेन्स रख रहे हैं तो it is continuous. यह पाइंट आफ आर्डर वेलिड है।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह है ...

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि कौन सा पाइंट है जिस पर पाइंट आफ आर्डर रेज किया गया है। इस पर पहले निर्णय हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : आप सुन तो लें कि क्या कहते हैं?

श्री मूलचन्द डागा : जब वित्त मंत्रीजी सदन की मेज पर अपने पेपर्स रखने के लिए खड़े हुए उस समय मैंने पाइंट आफ आर्डर रेज किया है। अगर वे पेपर ले डाउन कर देते तो मैं पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाता। मैं उनका आभार मानता हूं। मैं प्रोफेसर केदार के ज्ञान का भी आभार मानता हूं। पाइंट आफ आर्डर उठाया जाता है वह कार्य शुरू होने के पहले या अजेण्डा का आइटम शुरू होने के पहले उठाया जाता है। वह खड़े होने लगे इसलिए मैंने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है। मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने आपसे काफी ज्ञान ले लिया है और और लेने की कोशिश करूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : आप फिर खड़े हो रहे हैं इसलिए रेज किया है पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर पर पाइंट आफ आर्डर नहीं होता है।

माननीय मंत्री महोदय।

श्री मूलचन्द डागा : नाउ आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह पेपर्स ले डाउन नहीं कर सकते हैं जब तक कि .....

श्री अध्यक्ष : जब तक क्या?

श्री मूलचन्द डागा : रूल 255 ....

(व्यवधान)

When I have raised a point of order, how can he speak?

श्री किशनसिंह भाटी : सरसरी बात मैं कहना चाहता हूं ..

(व्यवधान)

(12)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको कह लेने दें।

श्री किशनसिंह भाटी : प्रोफेसर केदार के ज्ञान की बात इन्होंने कही है वह व्यंग्यात्मक ढंग से कही है। It amounts to innendo क्या कोई भी सदस्य इस तरह की लैंग्वेज यूज कर सकता है ?

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, रूल 255 की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं—

"The Secretary shall make every effort to circulate to each member a copy of every notice or other paper which is required by these rules to be made available for the use of members."

माननीय वित्त मंत्री सदन की मेज पर जो अध्यादेश रखने जा रहे हैं, वह सक्यूलेट नहीं किया गया है। उसकी कोई कापी मेरे पास नहीं आई है। कौल एण्ड शकधर की जो पुस्तक है उसमें साफ लिखा है–

"At least two days, three days before the papers should be circulated to the members so that the member can apply their mind."

Neither the papers were laid on the table of the House nor circulated to the Members. मैं क्षमा चाहता हूं, इससे सम्बन्धित पोर्शन मैं पढ़ रहा हूं। 259 में कोई भी पेपर ले डाउन करें उसको पहले अगर आप सक्यूलेट कर देते तो, श्रीमान्, मैं खड़ा नहीं होता,

"When a Minister wants to lay on the Table any paper, document the concerned ministry forwards to the Secretariat twenty-one copies of the paper complete in all respects, including one copy duly authenticated by the minister concerned, two clear days before the date on which the minister proposes to lay on the table.

अगर आप किसी डाकूमेंट को या अध्यादेश को सदन की मेज पर रखना चाहते हैं तो उन पेपर्स या डाकूमेन्ट्स की हमको जानकारी होनी चाहिए। मुझे कहना पड़ेगा कि आप जिन पेपर्स को ले डाउन कर रहे हैं या रखने की कोशिश कर रहे हैं उसकी मेरे पास कापी नहीं पहुंची है इसलिये मैं उसके सम्बन्ध में आब्जेक्शन नहीं कर सकता हूं। उनके कन्टेन्ट्स हैं ? जब तक उनके कन्टेन्ट्स मालूम नहीं होते हैं मैं, श्रीमन्, आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सदन की मेज पर पेपर्स तब तक नहीं रखे जा सकते हैं जब तक कि रूल 255 के अन्दर हमारे पास पेपर्स की कापी दो दिन पहले नहीं पहुंचायी जाती।

श्री अध्यक्ष : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, यह मेन्डेटरी प्रोविजन नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : 255 को पढ़िये।

श्री अध्यक्ष : The Secretary shall make every effort to circulate to each member..

मंत्री महोदय।

श्री मूलचन्द डागा : मैं पेपर्स के कन्टेन्ट्स नहीं जानता। मुझे मालूम नहीं है कि कौनसा पेपर रख रहे हैं तो कैसे मैं आपत्ति कर सकूंगा, यह मुझे समझाइये।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : जब पाइंट श्राफ ग्रार्डर ओवर रूल हो गया तब श्राप कैसे बोल सकते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं कहना चाहता हूं, मैं सबमिशन कर रहा हूं।

श्री भंवरलाल ऐरन : You cannot challenge the ruling of the Speaker.

श्री मूलचन्द डागा : I am not challenging.

श्री मदनसिंह दांता : यह जो कह रहे हैं कि हमको कापियां नहीं मिलीं उसको श्राप चैलेंज कर रहे हैं··

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, मैंने श्रापके सामने··

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय श्रध्यक्ष महोदय, श्रापने रूलिंग दे दी श्रौर पाइन्ट श्राफ श्रार्डर को श्रोवर रूल कर दिया। इसके बाद भी यह बोलते हैं तो मेरा श्रापसे नम्र निवेदन है कि इनको श्रागे बोलने की इजाजत नहीं दी जाय।

श्री श्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, रूल 255 सब रूल 2 यह है–

"A notice or other paper shall deemed to have been made available for the use of every member if a copy thereof is deposited in such manner and in such place as the Speaker, may, from time to time direct;"

श्री मूलचन्द डागा : That is good. ऐसा मालूम हो··

श्री श्रध्यक्ष : If that is so, then please sit down.

श्री मूलचन्द डागा : श्राप रूल कोट कर रहे हैं, किन्तु मुझे मालूम नहीं हुश्रा कि श्रार्डिनेन्स क्या है ? मुझे मालूम नहीं हुश्रा कि सदन की मेज पर रख दिया गया है या सक्यूलेट कर दिया गया है। मुझे कापी उपलब्ध नहीं हुई तो मैं कैसे श्रापके सामने पाइन्ट रखूं।

श्री श्रध्यक्ष : मैं श्रापके श्राब्जेक्शन को स्वीकार करने में विवश हूं, मैं उसको निरस्त करता हूं।

माननीय वित्त मंत्री महोदय।

श्री मूलचंद डागा : जो मेरे श्रधिकार हैं यह उन श्रधिकारों का हनन है। श्रीमन्, यह मेरा श्रधिकार है, मुझे मालूम होना चाहिये कि यह बिल क्या है। कोई पेपर ले डाउन करें, वह क्या है, यह मुझे मालूम नहीं है तो मैं कैसे बात कर सकता हूं···

विधान सभा को श्राहूत करने के उपरांत श्रध्यादेश का प्रख्यापन

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : माननीय श्रध्यक्ष महोदय, मैं श्रापकी श्राज्ञा से एक गम्भीर विषय पर पाइण्ट श्राफ श्रार्डर पेश करना चाहता हूं।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने श्रपने श्रभिभाषण में कहा है, "मुझे विश्वास है कि चालू सत्र में श्राप इस सदन की गरिमा एवं गौरवशाली परम्पराश्रों को श्रपने कृत्यों से श्रौर श्रागे बढ़ायेंगे।"

श्रभी श्रभी जो माननीय वित्त मन्त्री जी सदन की मेज पर श्रध्यादेश रखने जा रहे हैं। इस सदन का श्राह्वान करने की सूचना जारी होने के बाद में सरकार ने इस

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)
अधिवेशन में बजट रखने के पहले संशोधन अध्यादेश के द्वारा टैक्स लगाकर इस सदन का घोर अपमान किया है। सदन की गरिमा का हनन किया है। एक तरफ महामहिम राज्यपाल यह आशा करते हैं, हमें यह उपदेश देते हैं. . . .

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी द्वारा जो आर्डिनेन्सेज के जरिये सरकार चलाई जा रही थी, उसकी आपने चुनाव घोषणा पत्र में निन्दा की थी और जनता से यह कह कर वोट मांगा था, जनता को यह वायदा किया था कि जनता सरकार आर्डिनेन्स के जरिये शासन नहीं चलायेगी। इस सरकार ने इस सदन की गरिमा का हनन किया है। और सदन की गरिमा को धूल में मिलाया है, यह असहनीय है।

(व्यवधान)

इससे सदन का अपमान हुआ है। सदन की गरिमा का हनन हुआ है। इस सरकार के द्वारा जनता के साथ विश्वासघात किया गया है।

(व्यवधान)

मुबारक हो आपको यह तानाशाही। मैं इस पर घोर आपत्ति करता हूं और इस सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सन् 1962 से 1977 तक विपक्ष में बिराजकर अध्यादेशों द्वारा शासन चलाने का तीव्र विरोध किया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा मान्यवर, इस सदन के आहूत होने के बाद मन्त्रिमंडल ने अध्यादेश के द्वारा राजस्थान की जनता पर टैक्स लगाया है, यह काबिले बर्दाश्त नहीं है। यह आपके मान और मर्यादा के विरुद्ध है। इस प्रकार का कोई डाकूमेन्ट सरकार को रखने का आदेश नहीं दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको काफी समय मिलेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह रखने के बाद फिर तो टाइम ही नहीं होगा। एक ओर माननीय गवर्नर महोदय विधान सभा का सत्र बुलाते हैं दूसरी तरफ यह आर्डिनेन्स लागू किया गया है। इस प्रकार से सदन का मखौल उड़ा रहे हैं। जब कि हाउस सम्मन हो रहा है, सदन बुलाया गया है...

(व्यवधान)

यह सदन के साथ विश्वासघात किया गया है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : इस प्रकार लोगों का बोलना बन्द कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : वेश्या होकर सतीत्व का पाठ पढ़ाये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या नोटिस निकाला गया ? यह मखौल किया गया है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : रघुनाथ विश्नोई जी, आप पर वही बात लागू होती है, वेश्या होकर सतीत्व का पाठ पढ़ाये । आप यह किस प्रकार से बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री एच.एन. शर्मा (बेगूं) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बात तो सुनिये सरकार की ।

श्री मूलचन्द डागा : सरकार क्या बात कहेगी ।

(व्यवधान)

ऑर्डिनेन्स के जरिये से सरकार चलाते हैं ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : (मंत्री, संसदीय मामलात) : Any Minister can.

श्री मूलचंद डागा : They should not be allowed to lay any papers How can he speak ?

श्री मदनसिंह दांता : यह ऑर्डिनेन्स गजट में छपता है इसलिए ऐसा कैसे कहते हैं कि नोटिस में नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : 5 तारीख को इश्यू हुआ ।

श्री मूलचन्द डागा : हमें तो यह अखबारों से मालूम हुआ । जिस दिन सदन को आहूत किया जा रहा था उसी दिन राजस्थान पत्रिका में यह हैडन्यूज थी । उस दिन के सारे अखबारों में यह है जिस दिन सदन को आहूत किया है । यह गलत है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कानून पास करना है । यह कैसे राज चला रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान सरकार का अर्द्ध-शासकीय गजट है जिसके अन्दर लिखा है, ... "माचिस और आम जरूरत की चीजों पर बिक्री कर बढ़ा दिया है ।" इधर महामहिम राज्यपाल महोदय ने विधान सभा का सत्र आहूत किया उधर करों की बढ़ोतरी करने का अधिकार दे दिया । बढ़ा हुआ हर कर तुरन्त प्रभाव से लागू हुआ है । मान्यवर·····

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं जवाब देता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : Minister incharge will give reply. How can you reply ?

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मंत्री) : जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी है ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या सदन में विश्वास नहीं है ?

श्री मूलचन्द डागा : हम ऐसा मन्त्रिमण्डल नहीं चाहते हैं जो सदन का अपमान करे ।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, सदन को आहूत करने के साथ ही सरकार ने अध्यादेश जारी करके बिक्री कर में 1% बढ़ोतरी कर दी है जिससे रोजमर्रा की चीजों पर असर पड़ा है। इससे सरकार को 2 करोड़ की सालाना आमदनी होगी।

मान्यवर, एक तरफ मन्त्रिमण्डल आर्डिनेन्स निकालता है और दूसरी तरफ विधान सभा का सत्र बुलाता है। मैं इस बात की चुनौती देता हूं, पिछले 25 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। एक भी उदाहरण आप नहीं बता सकते हैं जिसमें एक साथ ही सदन आहूत किया हो और आर्डिनेन्स निकाला हो।

(व्यवधान)

मैं निवेदन करूंगा कि आप मन्त्री महोदय को इसे सदन पटल पर नहीं रखने दें और परमिशन रिफ्यूज कर दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको विधान सभा का विश्वास नहीं है। आपने टैक्स लगा दिया है फिर कहते हैं हमारी बात सुनो। आपने ऐसा कार्य करके विधान सभा का मखौल बनाया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो अध्यादेश रखा जा रहा है, इस अध्यादेश के जरिये टैक्स बढ़ाये गये है। सबसे बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि जो सरकार इस आधार पर बने कि वह अध्यादेशों की सरकार नहीं है वह सरकार उस समय अध्यादेश जारी करे जब कि विधान सभा बुला रही हो। अगर कोई इस प्रकार का अध्यादेश हो जिससे जनता का बहुत बड़ा हित होता हो तब तो बात समझ में आती। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। एक तरफ तो आप में शराबबंदी पर मल्ल युद्ध हो रहा है। आपको यह मालूम नहीं कि तीस करोड़ रुपया कहाँ से आएगा। आपको मद्य निषेध की सनक सवार हो गई, इस इश्यू पर आप में मल्ल युद्ध हो रहा है कि तीस करोड़ को आप किस प्रकार से पूरा करेंगे। दूसरी तरफ आपने दो करोड़ के टैक्स लगा दिये और सारे कानून कायदे ताक में रख दिये। माननीय वित्त मन्त्री महोदय, आप बुजुर्ग आदमी हैं, यह बदनामी क्यों ले रहे हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप आदर्श पुरुष हैं, सरकार छोड़कर आ जावें।

(व्यवधान)

आप लोगों ने मास्टर जी के साथ यह षड्यन्त्र किया। विधान सभा को आहूत करते हुए जनता पर कोई टैक्स लगाओ, यह कोई तरीका है ?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, सदन की जैसी परम्परा रही है सारे सदन का आप में विश्वास है। मैं आप से प्रार्थना करूंगा, आपके होते हुए, आप जब तक पदासीन हैं, इस प्रकार के आर्डिनेन्स, जिसे सदन की मेज पर रखने के लिये मावलंकर साहब ने भी अलाउ नहीं किया, आप मेहरबानी करके सदन की मेज पर रखने के लिए अलाउ नहीं करें। इस प्रकार से आप इस सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ायेंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मूलचन्दजी डागा साहब का यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, आपने यह व्यवस्था दे दी है कि अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, फिर यह चर्चा क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री नूरा (मसूदा) : आपने धोखा दिया है। ये टैक्स क्यों लगाये...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मैं आपके सामने रूलिंग पढ़ रहा था–

"I shall request you not to ask me to repeat the observations that I had already made in very strong terms. But if you think that there should be some distinction between financial and non-financial, tax and non-tax ordinances, there is nothing in my knowledge on which I may base my ruling. All I can say is that I don't approve of an Ordinance just at the time when the House is about to meet."

जब हाउस मीट कर रहा हो तब इन्होंने टैक्सेशन बढ़ाकर हाउस का ही अपमान नहीं किया, तीन करोड़ जनता का अपमान कर दिया। जो सदन के नुमाइन्दे हैं उनको मालूम था कि हाउस मीट करने वाला है, बजट सैशन आने वाला है। श्रीमान्, यह उचित नहीं होगा कि आपके होते हुए इस प्रकार का आर्डिनेन्स अलाउ हो जाय। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस कुर्सी पर आसीन हैं, आप स्पीकर हैं, आप एक नई परम्परा कायम करें और इस प्रकार के आर्डिनेन्स अलाउ नहीं करें। It should not be allowed.

मैंने एक बात कही थी, मेरे पास इस आर्डिनेन्स की प्रति भी नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे आब्जेक्शन को सुनने के बाद 1979 में जब तक महारावल लक्ष्मण सिंहजी अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में इस प्रकार के आर्डिनेन्स नहीं आने चाहिए।

(व्यवधान)

हमारे पास आर्डिनेन्स की प्रति भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपने जो आपत्ति की थी वह उठा ली, अब सरकारी बात भी सुन लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : Member-in-charge can reply. He is not the Member-in-charge.

श्री अध्यक्ष : Any member of the Government can reply.

श्री मूलचन्द डागा : Sir, Member-in-charge of the Bill or Ordinance.

श्री अध्यक्ष : Not at all.

श्री रामनारायण चौधरी : It is a financial issue. Finance Minister should reply. यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपकी सारी बात सुन ली। मैं यह कहना चाहूंगा कि I don't

(श्री अध्यक्ष)
approve of this. इसके उपरान्त सरकार का उत्तर आप सुन लीजिये। यह सदन तो बहुमत का है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आर्डिनेन्स 5 फरवरी को जारी हुआ...

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह कानून की बात कर रहे हैं। वित्त मन्त्रीजी को जवाब देना चाहिए। उनके कान ठीक हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय यह बड़ा भारी षड़यन्त्र है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उनको जानबूझ कर चुप रखा जा रहा है। वित्त मन्त्रीजी को बोलना चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उन्हें बोलने नहीं देते।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमको इस बात का शक पैदा हो गया है कि वे इनसे सहमत नहीं हैं।

(व्यवधान)

वे गैरहाजिर हों तो और बात है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे चुके हैं, सारे प्रश्न पर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार की बात तो सुनिये।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : वित्त मन्त्री जवाब दें, हम सुनेंगे।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : रूल 2 में है :

"Member-in-charge of the Bill" means, in the case of a Government bill, any Minister, and in any other case, the member who has introduced the Bill."

Who is Member-in-charge? It is the Finance Minister.

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : वित्त मंत्री जी, आप गोकुल भाई भट्ट के पास चले जायं थोड़ी देर के लिए।

श्री मूलचन्द डागा : Rule 2 में है : "Member-in-charge of the Bill" means, in the case of a Government Bill any Minister, and in any other case, the member who has introduced the Bill."

So he is not the person who can reply.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं संसदीय मामलात का मंत्री हूं।

श्री राम नारायण चौधरी : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री राम नारायण चौधरी : Thero is. There is.

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं, ये बीच में कौन बोलने वाले हैं ? आपका पाइंट ग्राफ ग्रार्डर ग्रध्यक्ष महोदय रिजेक्ट कर चुके हैं।

श्री मूलचंद डागा : ये कौन बोल रहे हैं ? Is he the Speaker or what is he ?

श्री ग्रध्यक्ष : What is your point of order.

श्री राम नारायण चौधरी : मेरा पाइंट ग्राफ ग्रार्डर बहुत गंभीर है। वह ग्रापके ग्रौर सदन के विचार के लिए प्रस्तुत है। मैं प्रार्थना करता हूं कि ग्राप उस पर व्यवस्था दें।

वित्त मंत्री महोदय कागजात सदन के पटल पर रखने जा रहे हैं, उस सिलसिले में विभिन्न प्रकार की ग्रापत्तियां उठाई गई हैं। ग्रभी मर्यादा संबंधी भी गंभीर ग्रापत्तियां उठाई गईं। अध्यक्ष महोदय, ग्रापकी व्यवस्था हो चुकी ग्रौर ग्रापने व्यवस्था फर्मा दी कि जो कुछ हमारी तरफ से कहा गया है, उसको ग्रापने ग्रप्रूव किया ग्रौर उस तरफ से जो कार्यवाही की गई है, उसको ग्राप डिसग्रप्रूव करते हैं। वित्त मंत्री महोदय जो कागजात सदन के पटल पर रखने जा रहे हैं उसके लिए जो प्रक्रिया ग्रपनाई गई, सरकार का जो रवैया था, इधर सदन को ग्राहूत किया उधर ग्रध्यादेश निकाला, इस सारी कार्यवाही को आपने डिसग्रप्रूव किया है इससे ग्रापने न केवल संसदीय परम्पराग्रों की रक्षा की है, बल्कि सदन की मान मर्यादा को भी सुरक्षित रखा है। आपने जो व्यवस्था दी है वह लक्ष्मण सिंह जी की नहीं है, वह चित्तौड़गढ़ से चुने हुए माननीय सदस्य की नहीं, वह ग्रासन की है, ग्रध्यक्ष महोदय की है, उस नाते ग्रापने जो व्यवस्था दी है, वह सदन की प्रापर्टी हो चुकी है, वह रीओपन नहीं हो सकती। ग्रापने जो व्यवस्था दी है, ऐसी व्यवस्था मावलंकर साहब ने भी दी थी। इस प्रकार के पेपर्स को सदन के पटल पर रखने से रिफ्यूज किया गया था ग्रौर नेक्स्ट डे शोरगुल हुग्रा था। पता नहीं चलता वह क्या रखना चाहते हैं। ग्रजेंडा में लिखा है; श्री ग्रादित्येन्द्र वित्त मंत्री राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) ग्रध्यादेश 1979 (ग्रध्यादेश संख्या 1 सन् 1979) को..."इसमें तारीख भी नहीं क्या ग्रादेश है ? नोटिफिकेशन से बिक्रीकर 7 से 8 प्रतिशत किया है। ग्रधिकांश माननीय सदस्यों को पता नहीं, जिस जिस को मालूम है वह है कि 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत किया है। शराब पर उत्पादन शुल्क 30 से 60 प्रतिशत किया। हमको प्रति मिली नहीं हम क्या कह सकते हैं। सचिवालय की कृपा से जानकारी कर ली कि कुछ सामग्री जुटाई। ग्राप व्यवस्था दें, ग्राप हमारे ग्रारोपों को मान चुके ग्रौर कह चुके कि सरकार की कार्यवाही को डिसग्रप्रूव करते हैं, उसके बाद सरकार से उत्तर दिलवाना उचित नहीं है। It is a serious point of order, it should not be reopened.

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले ग्रापने व्यवस्था दी, ग्रपना माइंड दे दिया परन्तु··

श्री ग्रध्यक्ष : मैं सरकार को रोक नहीं सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने बहस सुनकर विवेक से अपनी व्यवस्था दे दी है। ये बहुमत में हैं···

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

मंत्री महोदय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर सरकार कोआपरेट नहीं करती तो आपकी मजबूरी है, आप व्यवस्था दे चुके हैं। आपने जो टिप्पणी की है उसके बारे में सरकार क्या कहना चाहती है?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : जो आपत्तियां उठाई गई हैं उस संबंध में अध्यक्ष महोदय पहले व्यवस्था दे चुके हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि अध्यादेश 5 तारीख को जारी हुआ है और सदन 9 तारीख को आहूत हुआ है। यह गलत है कि सदन को आहूत करने के पश्चात् अध्यादेश जारी किया गया

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : वित्त मंत्री कुछ कहना चाहते हैं या नहीं?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : आधे घण्टे का समय आपने लिया है, यह कोई तरीका नहीं है। निर्णय अध्यक्ष महोदय करेंगे, आपके हाथ में नहीं है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सदन का समय नष्ट कर रहे हैं बेकार में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। अंकित न हो।

कई माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप सरकारी बात तो सुनिये। सरकार ने सबकी आपत्ति सुन ली। अब सरकार की बात सुनिये।

उनको अपनी बात तो कहने दें।

श्री मदनसिंह दांता : हम सुनेंगे लेकिन हम जो सरकार की बात बताते हैं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किसी तरह से कोई मेजर और कर्सेट तो होनी चाहिए, नहीं तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी?

श्री मदनसिंह दांता : मुझे मालूम है कि यह नहीं चलेगी गवर्नमेंट···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे जो कुछ कहना था कह दिया, वह सब प्रोसीडिंग्स के अन्दर है।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, भैरोंसिंह शेखावत एक अप्रेल से इस्तीफा देने वाले हैं···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बिल्कुल फिजूल की बात है।

श्री मदनसिंह दांता : फिजूल की बात नहीं है। यह सरकार रहने वाली नहीं है।

(व्यवधान)

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मदनसिंह दांता : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। जब तक सरकार का उत्तर नहीं सुनेंगे कुछ भी प्रोसीडिंग्स में नहीं आएगा।

श्री मदनसिंह दांता : × × ×

श्री अध्यक्ष : जो कुछ सरकार बोल रही है उसे भी बोलने दीजिए।

श्री मदनसिंह दांता : क्या बोलेंगे। टैक्स लगाये हैं।

श्री अध्यक्ष : कुछ भी बोलें, सुनिये।

आप सदन की मेज पर रख दीजिए और खत्म करिये।

सदन पटल पर रखा गया पत्र

अध्यादेश

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1979

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि विधान सभा को आहूत करने की जो तिथि थी वह है 9 तारीख और यह जो आर्डिनेन्स, अध्यादेश है यह 5 तारीख को प्रोमगलेट किया गया है इसलिए वह आपत्ति तो समाप्त हो गई। जब यह आपत्ति समाप्त हो गई तो जो कुछ भी यह अध्यादेश जारी किया गया था वह अध्यादेश ठीक है। तो, अध्यक्ष महोदय, यह अध्यादेश मैं सदन की मेज पर रखताहूं। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1979) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय पुरुषोत्तम मंत्री।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1978

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (तृतीय संशोधन) अध्यादेश 1978.....

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पॉइन्ट आफ आर्डर..

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : (अध्यादेश संख्या 17 सन् 1978) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइण्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : नो पांइन्ट आफ आर्डर।

सदन की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 27 फरवरी, 1979 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म.प. 1-35 बजे मंगलवार दिनांक 27 फरवरी, 1979 के म.पू. 11–00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

××× अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

परिशिष्ट

(महामहिम राज्यपाल श्री रघुकुल तिलक का अभिभाषण)

माननीय सदस्यगण,

छठी राजस्थान विधान सभा के इस बजट सत्र में मैं आप सब का हार्दिक स्वागत करता हूं।

2. यह वर्ष राजस्थान के आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष रहा है। जहां सरकार ने पिछले वर्ष अन्त्योदय योजना प्रारम्भ कर देश में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम को नई दिशा दी वहां इस वर्ष काम के बदले अनाज योजना का सफल क्रियान्वयन कर देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस योजना के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपये की लागत के स्थानीय महत्व के कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से करा कर सरकार ने गांव गांव में जो चेतना उत्पन्न की है उससे आप सभी परिचित हैं। विकास की जो लौ इस कार्यक्रम से जली है वह कई वर्षों तक प्रदेश के विकास का पथ प्रशस्त करती रहेगी। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए इस कार्यक्रम से सम्बद्ध सभी व्यक्ति बधाई के पात्र हैं।

3. यद्यपि दो वर्ष की अवधि किसी भी प्रदेश के इतिहास में अत्यन्त ही अल्प होती है फिर भी पिछले दो वर्ष प्रदेश के आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इस अवधि में सरकार ने प्रशासनिक प्रणाली को लक्ष्य परक एवं जनता के प्रति संवेदनशील बनाया है, योजना आकार में आशातीत वृद्धि की है एवं विकास की प्रक्रिया को ग्रामोन्मुख किया है। सरकार के पैसे का अधिक से अधिक लाभ कमजोर तथा पिछड़े वर्गों को मिले, इस उद्देश्य से प्रेरित होकर योजनागत विनियोग की प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण किया गया है। इसके फलस्वरूप पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश का चहुंमुखी विकास हुआ है।

4. जनता सरकार ने शासन में आने के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद् एवं अन्य मंचों से राज्य के पिछड़ेपन की स्थिति को सबके सामने उजागर किया है तथा केन्द्रीय सरकार पर इस बात के लिये दबाव डाला है कि प्रदेश के आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए केन्द्र से अधिक सहायता दी जाये। इसके साथ ही सरकार ने अपनी सफल वित्तीय नीतियों के द्वारा अधिक साधन जुटाकर योजना का आकार बढ़ाया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि योजना आयोग के द्वारा राज्य की अगले वर्ष की वार्षिक योजना का जो आकार तय किया गया है उसके अनुसार संभवतया पिछले 13 वर्षों में पहली बार राज्य में प्रतिव्यक्ति योजनागत विनियोग राष्ट्रीय औसत से अधिक हो सकेगा।

5. आगामी वर्ष के अन्त तक जनता शासन के प्रथम 3 वर्षों में राज्य में योजना कार्यों पर लगभग 700 करोड़ रुपये का विनियोग किया जा सकेगा। तीन वर्षों का यह विनियोजन प्रथम चार पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में कुल विनियोजित 678 करोड़ रुपये की राशि से अधिक होगा। यह अत्यन्त

ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसका राजस्थान के आर्थिक विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

6. उपरोक्त विनियोग के अतिरिक्त भी सरकार ने इस बात की चेष्टा की है कि केन्द्रीय सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं से अधिक राशि प्राप्त कर प्रदेश का विकास किया जाये। चालू वर्ष में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार कर अनुमानत: 80 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश में विकास कार्यों पर खर्च की जायेगी जिसका पुनर्भरण भारत सरकार से प्राप्त होगा। अगले वर्ष की समाप्ति तक राज्य में जनता शासन के 3 वर्षों में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से 232 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र सरकार से राज्य के विकास के लिये प्राप्त हो सकेगी। इसके पूर्व तीन वर्षों की अवधि में कुल 102 करोड़ रुपये की राशि ही सरकार ने केन्द्र से प्राप्त की थी। इन तथ्यों से राजस्थान के विकास के लिये केन्द्र सरकार से अधिक सहायता प्राप्त करने के सरकार के प्रयासों की सफलता स्पष्ट तथा परिलक्षित होती है।

7. किसानों की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने सिंचाई एवं विद्युत् के क्षेत्र में विनियोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जनता शासन के प्रथम तीन वर्षों में लगभग 400 करोड़ रुपये सिंचाई एवं विद्युत् कार्यों पर खर्च होंगे। सिंचाई एवं विद्युत् कार्यों पर विनियोग की यह राशि प्रथम चार पंचवर्षीय योजनाओं में इस क्षेत्र में किये गये विनियोजन से अधिक होगी।

8. इसी प्रकार उद्योग, खनिज, संचार एवं परिवहन के क्षेत्रों में सरकार द्वारा अप्रेल 1977 से मार्च, 1980 तक की अवधि में प्रथम चार पंचवर्षीय योजनाओं में किये गये कुल व्यय से भी अधिक व्यय किया जायेगा।

9. सदियों से निरंतर अकाल से जूझते राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों के विकास की अपनी अलग समस्याएं हैं। सरकार ने इन क्षेत्रों के विकास के लिये मरुस्थल विकास का एक नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। जहां अप्रेल, 1974 से मार्च, 1977 तक तीन वर्षों में इन क्षेत्रों के विकास पर 13 करोड़ रुपये, सूखा सम्भाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खर्च किये गये वहीं सरकार चालू एक वर्ष में ही 18 करोड़ रुपये मरुस्थल विकास तथा सूखा सम्भाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन क्षेत्रों के विकास के लिये खर्च करेगी। इसके अतिरिक्त योजना कार्यों में भी मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

10. सरकार ने छोटे एवं गरीब कृषकों को अपनी प्रवृत्तियों का केन्द्र बिन्दु बनाया है। जहां पहले केवल 6 जिलों में ही उनको विनियोजन हेतु अंशदान मिलता था वहां अब सारे प्रदेश में एक समान रूप से विनियोजन पर 25% से 33% तक अंशदान देने की व्यवस्था की गई है। लघु कृषकों व खेतिहर मजदूरों के आर्थिक विकास के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की अभूतपूर्व सफलता इस बात से स्पष्ट है कि अप्रेल, 1971 से मार्च, 1977 तक के 6 वर्षों में जहां सारे राज्य में छोटे किसानों के विकास के लिये कुल 6 करोड़ रुपये के अनुदान की सहायता दी गई वहीं सरकार ने इस एक ही वर्ष में 14 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान के रूप में देने का लक्ष्य

अपने सामने रखा है । इसके फलस्वरूप लगभग 44 करोड़ रुपये का ऋण छोटे किसानों व खेतिहर मजदूरों को उपलब्ध कराया जायेगा। छोटे किसानों व खेतिहर मजदूरों के आर्थिक विकास की दिशा में पिछले 6 वर्षों में हुई कुल उपलब्धियों की दुगुनी से भी अधिक उपलब्धि एक ही वर्ष में प्राप्त कर लेना एक अत्यन्त गौरवशाली कीर्तिमान है। गरीब किसान की गरीबी हटाने का यह प्रयास स्तुत्य है। मुझे विश्वास है कि गरीब किसानों व खेतिहर मजदूरों के हित में किये गये इस विनियोग से उनके आर्थिक विकास का एक नया अध्याय खुलेगा।

11. शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान अत्यन्त ही पिछड़े प्रदेशों में गिना जाता रहा है । शिक्षा विकास की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने पिछले 2 वर्षों में 1778 प्राथमिक शालायें, 732 उच्च प्राथमिक शालायें तथा 608 माध्यमिक शालायें खोली हैं। शिक्षण संस्थाओं का यह विस्तार इससे पूर्व के 3 वर्षों में हुए विस्तार का लगभग तिगुना है। माध्यमिक शालाओं को पिछले दो वर्षों में वृद्धि पूर्व में विद्यमान माध्यमिक शालाओं का 42% है । इसके फलस्वरूप राजस्थान में शिक्षा का द्रुतगति से विकास हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है सरकार ने प्रौढ शिक्षा के वृहद् राष्ट्रीय कार्यक्रम का भी भलीभांति क्रियान्वयन किया है। शालाओं में न जा सकने वाले बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देने के लिये विशेष केन्द्र खोले जा रहे हैं। जयपुर के कत्थक घराने की विरासत को पनपाने के लिये जयपुर में एक कत्थक केन्द्र की स्थापना की गई है।

12. विधान सभा के पिछले बजट सत्र को सम्बोधित करते समय मैंने सरकार के कुछ कार्यक्रमों एवं नीतियों की घोषणा की थी। मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि सरकार ने इन कार्यक्रमों एवं नीतियों की अनुपालना में कई कदम उठाये हैं। सड़कों एवं पुलों का निर्माण करने तथा इस कार्य हेतु संस्थागत सहायता प्राप्त करने हेतु राज्य में एक सड़क एवं पुल निगम की स्थापना की गई है। यह निगम सरकार की ओर से पुल एवं सड़कों के बड़े निर्माण कार्य हाथ में ले सकेगा।

13. राज्य में पर्यटन विकास की असीम सम्भावनाएं हैं। राज्य में पर्यटन का चहुंमुखी विकास करने के लिये एक पर्यटन विकास निगम की स्थापना अभी हाल ही में की गई है। कम आय वाले पर्यटकों की सुविधा के लिये जयपुर में एक जनता होटल का निर्माण कराया जा रहा है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन देने तथा मरुस्थलीय वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु दो करोड़ रुपये की लागत का एक राष्ट्रीय मरु पार्क बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में बनाया जा रहा है।

14. पंचायतीराज की आधारभूत इकाई ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके इस उद्देश्य से मैंने पिछले बजट सत्र में सरकार के इस निर्णय की घोषणा की थी कि ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिये ढाई रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान दिया जायेगा। इस घोषणा के अनुसार चालू वर्ष में 6 करोड़ 45 लाख रुपये का अनुदान पंचायतों को उपलब्ध करा दिया गया है। यह अनुदान पिछले 10 वर्षों में इन संस्थाओं को दिये गये कुल अनुदान से भी अधिक है। इस वित्तीय सहायता से पंचायतें

विकास के अनेक कार्य अपने क्षेत्रों में कर सके हैं। यह हम सबके लिये संतोष का विषय है। पंचायतीराज व्यवस्था पर अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है। शीघ्र ही पंचायतीराज व्यवस्था के बारे में सरकार की नीति की घोषणा की जायेगी। इस नीति के आधार पर पंचायतीराज की शेष इकाइयों के चुनाव कुछ महीनों में करा दिये जायेंगे।

15. प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर राज्य के विभिन्न स्थानों में अवैध रूप से भूमि हथियाने के मामलों की जांच करने हेतु सरकार ने पिछले वर्ष बेरी आयोग की स्थापना की थी। बेरी आयोग से प्राप्त अंतरिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

16. माननीय सदस्यों को काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत राज्य में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी है। पूर्व में ग्रामस्तर के स्थानीय महत्व के कार्यों को निम्न प्राथमिकता देने के कारण वर्षों तक ऐसे विकास कार्यों को हाथ में नहीं लिया जा सका था। इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय महत्व के इन कार्यों को पूरा करने का बीड़ा उठाकर सरकार ने एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस योजना से आज गांव-गांव में नई आशा का संचार हुआ है। इस बात की होड़ लगी है कि कितने अधिक विकास कार्य इस योजना के अन्तर्गत पूरे किये जायें। यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रदेश के विकास के लिये एक शुभ संकेत है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक हमने 25 करोड़ रुपये के मूल्य का 2.28 लाख टन गेहूं भारत सरकार से प्राप्त किया है जो एक राष्ट्रीय कीर्तिमान है। सारे देश में इतनी अधिक संख्या में अनाज का रोजगार हेतु उपयोग किसी भी अन्य प्रदेश ने नहीं किया। यह हम सबके लिये अत्यन्त गौरव की बात है। अब तक इस योजना के अन्तर्गत पंचायतों के माध्यम से लगभग 5,600 शिक्षण संस्थायें, 1,500 पंचायत घरों, 623 चिकित्सालयों एवं 7,240 किलोमीटर लम्बी सड़कों, 4,000 पेयजल कूपों एवं 6,000 तलाबों के निर्माण कार्य तथा 20,000 अन्य प्रकार के कार्य हाथ में लिये गये हैं। इनमें से लगभग 16,753 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। पंचायतों को अब तक 18 करोड़ रुपये का अनाज सरकार ने उपलब्ध कराया है। योजना के सुचारु रूप से संचालन के लिए सरकार ने पंचायत स्तर पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया है तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त लगभग 6 करोड़ रुपये के विभागीय कार्य भी इस योजना के माध्यम से कराये गये हैं।

17. इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 418 लाख कार्य दिवसों का रोजगार उपलब्ध करा कर बेरोजगारी दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। भारत सरकार से अगले वर्ष के लिए 4 लाख टन खाद्यान्न की मांग की गई है ताकि इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में इस वर्ष हुई प्रगति को और भी आगे बढ़ाया जा सके।

18. प्रथम राजस्व अभियान की अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए द्वितीय राजस्व अभियान का आयोजन किया गया था। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि द्वितीय राजस्व अभियान के अन्तर्गत 8 लाख 24

हजार मामलों का निपटारा गांवों में खुली अदालतों को लगातार किया गया। 1 लाख 73 हजार व्यक्तियों को उनकी भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये गये। 3 लाख 89 हजार नामांतरकरण तस्दीक किये गये। लगभग 42 हजार व्यक्तियों को 1 लाख 16 हजार एकड़ भूमि का आवंटन किया गया तथा 23 हजार व्यक्तियों को भूमि के नियमनकरण के द्वारा लाभ पहुंचाया गया। इस अभियान के दौरान 13,000 खातेदारों की अवाप्त भूमि का लगान कम किया गया।

19. राजस्व अभियान प्रशासन को जनता के हितों के प्रति उत्तरदायी बनाने तथा ग्रामोन्मुख करने के सरकार के मन्तव्य की अभिव्यक्ति है। गांवों में ही खुली अदालतों में सबके सामने भूमि सम्बन्धी मुकदमों के निपटारे के फलस्वरूप भ्रष्टाचार-उन्मूलन में भी सहायता मिली है।

20. पूर्व में कृषि-भूमि को आवासीय उपयोग में लेने पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। कृषकों तथा अन्य व्यक्तियों को आवास एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कृषि-भूमि के उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसी भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42-अ तथा धारा 53 से मुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कृषकों को अपनी खातेदारी की भूमि में से 500 वर्गगज तक भूमि को औद्योगिक कार्य हेतु उपयोग करने की सुविधा दे दी गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में संशोधन कर पशुपालन, कुक्कुट एवं दुग्ध उद्योग को कृषि की परिभाषा में शामिल किया गया है। कृषकों को उनकी भूमि के पास लगी सड़कों की सरकारी भूमि पर पेड़ लगाकर उनके फल लेने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार भू-राजस्व अभिलेख नियमों में संशोधन कर कृषकों की दी गई पास बुकों को अधिकारों के दस्तावेज का दर्जा दिया गया है। भूमि सुधार की प्रक्रिया में अधिकतम सीमा अधिरोपण कानून के अन्तर्गत गलत तय किये गये 3826 मामलों पर पुनर्विचार किया जा रहा है सरकार ने बूंदी जिले के लगानी कृषकों को जो वर्षों से खातेदारी अधिकारों से वंचित रह गये थे, कानून में संशोधन कर खातेदारी अधिकार देने की व्यवस्था की है। इसी प्रकार राजस्थान नहर परियोजना के उन काश्तकारों को, जो पूर्व में खातेदार या मौसमी कृषक थे, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में धारा 15–अ का संशोधन कर खातेदारी अधिकार देने का निर्णय लिया है।

21. पिछले वर्ष में देश की जनता, चिन्तकों एवं बुद्धिजीवियों के मानस को जिस शब्द ने सर्वाधिक प्रभावित किया है वह है अन्त्योदय। विचार गोष्ठियों, समाचार-पत्रों एवं सार्वजनिक मंचों पर निरंतर अन्त्योदय योजना की चर्चा हुई है। राजस्थान ने योजना बना कर गांधीजी के अन्त्योदय दर्शन को देश में सर्व प्रथम मूर्तरूप दिया। इस कार्यक्रम से गरीब की अपने आप में आस्था जगी है। उसने अपना खोया आत्मविश्वास पुनः प्राप्त किया है। लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण ने अन्त्योदय योजना को समग्र क्रांति का द्वितीय चरण माना है। देश विदेश में इसकी चर्चा हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, एवं बिहार ने राजस्थान के अनुसरण में अन्त्योदय कार्यक्रम को अपने यहां भी लागू

किया है। भारत सरकार इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। राजस्थान की धरा पर जन्मा एवं पनपा गरीबी-उन्मूलन का यह क्रांतिकारी कार्यक्रम अन्य प्रदेशों में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में फैले इससे अधिक संतोष और गौरव की बात हम सब के लिए क्या हो सकती है ? मैं आप सबको तथा राज्य की जनता को इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिये बधाई देता हूं।

22. जनवरी, 1979 के अंत तक चयनित परिवारों में से लगभग 24 हजार परिवारों को वृद्धावस्था एवं अपाहिज पेन्शन, 42,000 परिवारों को कृषि-भूमि के आवंटन, 60,000 परिवारों को ऋण सहायता, 6,000 परिवारों को रोजगार एवं 7,000 परिवारों को अन्य प्रकार से सहायता पहुंचाई गई है। अब तक अन्त्योदय योजना के प्रथम चरण में चयनित परिवारों में से 90% परिवारों को सहायता पहुंचा दी गई है। एक ही वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में गरीब परिवारों तक प्रशासन का पहुंचना तथा उनको सहायता उपलब्ध कराना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इस योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 13 करोड़ रुपये की ऋण सहायता अन्त्योदयी परिवारों के लिए स्वीकृत की गई है।

23. अन्त्योदय योजना के द्वितीय चरण में इस वर्ष 1 लाख 12 हजार परिवारों का चयन किया गया है। इनमें से 22 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस प्रकार द्वितीय चरण में 20% उपलब्धि करली गई है। इस वर्ष 35 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता अन्त्योदयी परिवारों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य सरकार ने अपने सामने रखा है। अन्त्योदय योजना के लिए वित्तीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करने के लिए 187 करोड़ रुपये की एक परियोजना सरकार ने तैयार की है। इस योजना के क्रियान्वयन पर 60 करोड़ रुपये पांच वर्षों में सरकार अपने साधनों से व्यय करेगी।

24. अन्त्योदयी परिवारों को सहकारी संस्थाओं द्वारा इस समय 10.5% ब्याज पर ऋण दिया जाता है, विपन्नता के कारण अन्त्योदयी परिवार इतने अधिक ब्याज पर ऋण लेने में कठिनाई का अनुभव करते हैं माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि सरकार ने सहकारी बैंकों द्वारा अन्त्योदय परिवारों को दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज में 4% छूट देने का निर्णय लिया है। अब इन परिवारों को साढे छः प्रतिशत ब्याज दर पर ही सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। सहकारी संस्थाओं को इसके फलस्वरूप अगले पांच वर्षों में 6 करोड़ रुपये की जो हानि होगी उसका सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जायेगा। इसी प्रकार व्यावसायिक बैंकों की सुविधा के लिए एक जोखिम कोष की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। अन्त्योदयी परिवारों को दिये गये जोखिम वाले ऋणों की वसूली नहीं होने की दिशा में इस कोष से व्यावसायिक बैंकों को सहायता दी जा सकेगी। विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा निजी दानदाताओं से अन्त्योदय परिवारों के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु एक अन्त्योदय कोष की स्थापना करने का निर्णय भी सरकार ने लिया है।

25. कई अन्त्योदय परिवार पूर्व में उनके द्वारा लिये गये ऋणों के कारण अब

पुन: ऋण लेकर अपना आर्थिक विकास करने की स्थिति में नहीं हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे अन्त्योदय परिवारों में बाकी 500/– रुपये तक के 10 वर्ष पुराने ऋणों का अपलेखन कर दिया जाये तथा 500/– रुपये से अधिक किन्तु 1000/– रुपये से कम 10 वर्ष पुराने ऋणों के जिन मामलों में अन्त्योदयी ऋणी ने मूल राशि के बराबर भुगतान कर दिया हो तो उनमें अवशेष राशि का अपलेखन कर दिया जाये।

26. नियमों में संशोधन कर अन्त्योदयी परिवारों को भूमि तथा खनन पट्टों के आवंटन में प्राथमिकता दी गई है। 40,000 अन्त्योदयी परिवारों का स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया गया है। अन्त्योदयी परिवारों को विशेष शिक्षण सुविधाएं भी दी गई हैं।

27. राज्य के बड़े-बड़े गांवों व कस्बों में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार पिछले वर्षों में युक्तिसंगत व एकीकृत रूप से नहीं हुआ था जिसके फलस्वरूप न केवल क्षेत्रीय असंतुलन पनपा बल्कि इन गांवों तथा कस्बों के अन्तर्वर्तीय क्षेत्र का आर्थिक विकास भी अवरुद्ध हुआ। इस कमी को दूर करने के लिये चालू वर्ष में सरकार ने विकास केन्द्रों पर आधारित ग्रामीण विकास की एक योजना लागू करने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षण के रूप में इस वर्ष 100 विकास केन्द्रों का चयन किया गया। अब तक के अनुभव के आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक पंचायत समिति में 2500 की जनसंख्या से बड़े सभी ग्रामों व जहां 2500 की आबादी के कम से कम चार गांव न हो वहां जनसंख्या के क्रम से 1500 की आबादी से बड़े चार गांवों का विकास केन्द्रों के रूप में विकास किया जाये। विकास केन्द्रों पर आधारित ग्रामीण विकास की इस महती योजना से अनुमानत: 50 लाख की जनसंख्या के लगभग 1200 गांव लाभान्वित होंगे इन विकास केन्द्रों में माध्यमिक शाला, औषधालय, सड़क, बिजली, पेयजल, सहकारी समिति, बैंक, परिवहन आदि की प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी तथा इनमें से कुछ चयनित विकास केन्द्रों पर टेलीफोन, कृषि उपज मण्डी, पेट्रोल तथा डीजल पम्प, औद्योगिक क्षेत्र, पशु चिकित्सालय आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध करायेगी। इसके साथ ही इस बात का प्रयास भी किया जायेगा कि ये विकास केन्द्र अपने आर्थिक अन्तर्वृत में आने वाले क्षेत्रों से परिवहन के माध्यम से जुड़ जायें ताकि इन विकास केन्द्रों से इनके आर्थिक अन्तर्वृत के सभी क्षेत्र लाभान्वित हो सकें। मुझे विश्वास है कि इस नये कार्यक्रम से विभिन्न क्षेत्रों में न केवल युक्तिसंगत विनियोजन होगा बल्कि ये विकास केन्द्र आर्थिक विकास के पुंज बन कर सारे प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इन विकास केन्द्रों में मूलभूत सुविधायें प्रदान करने के फलस्वरूप गांवों का जो विकास होगा उससे ग्रामीण जनता की नगरोन्मुख प्रवृत्ति को रोकने में मदद मिलेगी। इन विकास केन्द्रों के विस्तृत आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर एक परियोजना बनाई जायेगी ताकि इस कार्य हेतु संस्थागत सहयोग मिल सके। इस कार्यक्रम के अतिरिक्त केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राज्य के 112 विकास खण्डों में समन्वित ग्रामीण विकास का एक अन्य कार्यक्रम लागू किया गया है।

28. माननीय सदस्यगण जानते ही हैं कि राज्य के अपने वित्तीय साधन सीमित हैं। राज्य के आर्थिक विकास में संस्थागत सहा-

(29)

यता का विशिष्ट स्थान है। सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि वित्तीय संस्थाओं से राज्य के आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक सहायता प्राप्त की जाये। इस वर्ष साढ़े दस करोड़ रुपये की परियोजना कृषि पुनर्वित्त विकास निगम के द्वारा स्वीकृत की गई हैं। 203 करोड़ रुपये की लागत की योजनाएं कृषि पुनर्वित्त विकास निगम को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई हैं। लगभग 45 करोड़ रुपये के लागत की योजनाएं शीघ्र ही विभिन्न संस्थाओं को स्वीकृति हेतु भेजी जायेंगी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने ग्रामीण विद्युतीकरण की 8 करोड़ 74 लाख रुपये की लागत को योजनाओं की स्वीकृति दी है। इन योजनाओं के अतिरिक्त राजस्थान नहर के निर्माण एवं क्षेत्रीय विकास के लिये 664 करोड़ रुपये की योजनाएं, जलप्रदाय के लिये 177 करोड़ रुपये की योजनाएं तथा सहकारी समितियों को भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिये 3,500 गोदामों के निर्माण हेतु 21 करोड़ 27 लाख रुपये की योजना भारत सरकार को वित्तीय संस्थाओं से सहायता दिलाने हेतु भेजी गई है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने सहकारी समितियों की भण्डारण क्षमता बढ़ाने की 21 करोड़ 27 लाख रुपये की योजना के लिये सहायता देना स्वीकार किया है। माही परियोजना, गंग तथा भाखड़ा नगर, जयसमन्द, जेतपुरा, मेजा, जाखम, मुरेल, गुडा, जवाई, गालवा व पार्वती मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्रीय विकास की परियोजनाओं को भी अगले वर्ष अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। वित्तीय संस्थाओं की सहायता से प्रदेश के आर्थिक विकास के सरकार के भागीरथ प्रयास आने वाले वर्षों में राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

29. इस वर्ष वित्तीय संस्थाओं से 219 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करने का लक्ष्य सरकार ने अपने सामने रखा है। अनुमानतः अगले वर्ष 250 करोड़ रुपये की संस्थागत सहायता प्राप्त हो सकेगी।

30. प्रदेश में सहकारी साख ढांचे को सुदृढ़ करने के लिये भूमि विकास बैंक तथा सहकारी बैंकों के एकीकरण करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। इस एकीकरण के फलस्वरूप दीर्घकालीन व अल्प एवं मध्यमकालीन ऋण देने की दोहरी व्यवस्था समाप्त होगी तथा एक ही माध्यम से कृषकों को सहकारी संस्थाओं से ऋण प्राप्त हो सकेगा। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक से वार्ता की जा रही है। प्रस्तावित एकीकरण से न केवल ऋण वितरण एवं प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा बल्कि कृषकों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा। सरकार ने सहकारी संस्थाओं के नये उपनियम बनाये हैं इन उपनियमों के अनुसार अगले कुछ महीनों में कृषि ऋणदात्री, उपभोक्ता एवं विपणन से सम्बद्ध सहकारी संस्थाओं के चुनाव करा दिये जायेंगे।

31. राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये चालू वर्ष में विशेष प्रयास किये गये है। कृषि विस्तार-कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 लाख 57 हजार सम्पर्क कृषकों का चयन किया गया है जिनमें अधिकतर कृषक छोटे व मध्यम वर्ग के हैं। ग्राम विस्तार कार्यकर्ता इन सम्पर्क कृषकों के माध्यम से अन्य कृषकों को कृषि की आधुनिक विधियों की जानकारी

30

कराते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रसायनिक खादों की खपत में 25% तथा अधिक उपज देने वाले बीजों के वितरण में 40% की वृद्धि हुई है। दलहनों के अधिक उत्पादन के लिये 18 हजार हेक्टेयर के स्थान पर 1 लाख हेक्टेयर में राइबोजियम कल्चर देने की व्यवस्था की जा रही है। कृषि-उत्पादन की वृद्धि के साथ ही कृषि विपणन पर भी विशेष ध्यान दिया गया। विभिन्न कृषि उपज मण्डियों के कार्यक्षेत्र में 800 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया है।

32. पशुपालन का राज्य की अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं का समुचित विस्तार नहीं हो पाया है। अप्रेल, 1977 से पूर्व के 8 वर्षों में केवल 28 पशु चिकित्सालय ही खोले गये थे। पूर्व वर्षों की कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा पिछले वर्ष 50 तथा इस वर्ष 80 नये पशु चिकित्सालय खोले गये। इस प्रकार इन दो वर्षों में ही पूर्व के 8 वर्षों की तुलना में पशु चिकित्सालयों की संख्या में 450 प्रतिशत वृद्धि से राज्य के पशुपालकों को बड़ा लाभ होगा।

33. सरकार ने प्रदेश में मत्स्य विकास का एक वृहत् कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य विकास एवं विपणन का कार्य हाथ में लिया जायेगा। प्रदेश में समन्वित रूप से मत्स्य विकास का कार्य करने के लिए सरकार एक मत्स्य विकास संस्थान स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। चालू वर्ष में डूंगरपुर, बांसवाड़ा व अजमेर में मत्स्य पालक विकास अभिकरण स्थापित किये गये हैं। केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत कोटा व सवाई माधोपुर जिलों में ऐसे अभिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

34. प्रदेश में कुक्कुट विकास के लिए एक परियोजना तैयार की गई है। इस परियोजना के आधार पर सहकारी क्षेत्र में कुक्कुट उद्योग का विकास करने के लिए एक कुक्कुट विकास सहकारी संघ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

35. राजस्थान के पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में भेड़ पालन एक प्रमुख व्यवसाय है। नवीन पशुपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे किसानों व खेतिहर मजदूरों को जहां 1976-77 में 4.22 लाख रुपये की सहायता से 113 इकाइयां दिलाई गईं वहीं पिछले वर्ष 92 लाख रुपये की सहायता देकर 2448 इकाइयां स्थापित की गई हैं। पिछले वर्ष हुई अभूतपूर्व प्रगति को इस वर्ष और आगे बढ़ाकर 5000 इकाइयां स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। जहां राज्य सरकार ने छोटे भेड़ पालकों को भेड़ विकास के लिए सहायता दी है वहीं उनके उत्पादनों के विपणन की व्यवस्था भी की है ताकि बिचोलियों के शोषण से उन्हें मुक्ति मिल सके। राज्य भेड़ व ऊन विपणन मण्डल द्वारा गत वर्ष 70 लाख रुपये की ऊन खरीदी गई। इस वर्ष मण्डल द्वारा 150 लाख रुपये की ऊन खरीदने का लक्ष्य रखा गया है।

36. राज्य में दुग्ध विकास कार्यक्रम को और बढ़ाया गया है। जून, 1976–77 में

दुग्ध संग्रहण क्षमता 3.14 लाख लीटर की थी। दुग्ध संयंत्रों के विस्तार, नये अवशीतन केन्द्रों की स्थापना तथा विद्यमान अवशीतन केन्द्रों की क्षमता में विस्तार के फलस्वरूप अगले वर्ष के अंत तक यह क्षमता 7.60 लाख लीटर की हो जायेगी। दुग्ध उत्पादकों से पिछले वर्ष 12 करोड़ रुपये के मूल्य के स्थान पर इस वर्ष 16 करोड़ रुपये के मूल्य का दुग्ध खरीदा गया है। गंगानगर जिले में 5 करोड़ 64 लाख रुपये तथा सीकर–झुंझुनू क्षेत्र में 2 करोड़ 87 लाख रुपये की लागत के दुग्ध संयंत्र लगाये जा रहे हैं। बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर में भी दुग्ध अवशीतन केन्द्र लगाये जा रहे हैं। द्वितीय आपरेशन फ्लड योजना में दुग्ध विकास के कार्यक्रम को और बढ़ाया जायेगा।

37. राजस्थान में सिंचित क्षेत्रफल देश के औसत से काफी कम है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु सरकार ने इस क्षेत्र में विनियोग बढ़ाया है। चालू वर्ष में राजस्थान नहर व माही परियोजनाओं के निर्माण एवं बांधों एवं नहरों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। पिछले 6 वर्षों में प्रदेश में लघु सिंचाई योजना का एक भी नया काम योजनान्तर्गत शुरू नहीं किया गया था। मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि इस वर्ष 107 लघु सिंचाई योजनायें स्वीकृत करदी गई हैं। कुल मिला कर इस वर्ष एक लाख एकड़ भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उपलब्ध होगी।

38. राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण के निर्माण तथा कमान क्षेत्र के विकास तथा प्रथम चरण की अवशेष भूमि की कमान क्षेत्रीय विकास हेतु 664 करोड़ रुपये की योजनायें भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने हेतु भिजवाई गई हैं। आशा है कि अगले वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं की स्वीकृति संभव हो सकेगी।

39. सरकार ने इस बात का भी प्रयत्न किया है कि अन्य राज्यों में स्थित सिंचाई परियोजनाओं से राजस्थान को पानी मिले। नर्मदा जल विवाद पर इस वर्ष न्यायाधिकरण के द्वारा दिये गये निर्णय के फलस्वरूप हमें प्राप्त 5 लाख एकड़ फीट पानी से जालौर एवं बाड़मेर जिलों में साढे सात लाख एकड़ भूमि सिंचित हो सकेगी। गंगा एवं यमुना नदियों के पानी को भी सिंचाई हेतु लेने के लिये सरकार प्रयत्नशील है। पंजाब में प्रस्तावित थाई बांध के प्रश्न पर भी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के समक्ष दृढ़ता से अपना मत प्रस्तुत किया जिसके फलस्वरूप भारत सरकार ने यह मामला महा न्यायाधिवादी को अपनी राय व्यक्त करने हेतु भेजा है।

40. ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के मीटर पठन तथा बिलों का भुगतान करने में उपभोक्ताओं को कठिनाई होती थी। सरकार ने चालू वर्ष में जनवरी से कृषि कार्यों में प्रयुक्त 10 अश्व शक्ति तक के विद्युत् चलित पम्पों पर फ्लैट रेट लागू करने का निर्णय लिया है। कृषकों को मीटर के आधार पर भुगतान करने का वैकल्पिक सुविधा भी दी गई है।

41. राज्य में इस समय विभिन्न स्रोतों से 750 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो रही है। बिजली उपलब्धि को बढ़ाने के लिये

सरकार ने कोटा ताप संयंत्र व माही जल विद्युत् परियोजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इन परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने पर बिजली की वर्तमान उपलब्धि में 40% वृद्धि होगी। राजस्थान की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए कोटा ताप संयंत्र तथा माही जल विद्युत् परियोजना के विस्तार से 510 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन की योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। इसी प्रकार 70 करोड़ रुपये के लागत की 120 मेगावाट विद्युत् उत्पादन की पलाना लिगनाइट विद्युत् परियोजना भी तैयार कर ली गई है। यह योजना केन्द्रीय विद्युत् अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है।

42. पिछले दो वर्षों में राज्य में लगभग 45,000 कुओं का विद्युतीकरण किया गया है जो इसके पूर्व के चार वर्षों में किये गये विद्युतीकृत कुओं की संख्या से अधिक है।

43. चालू वर्ष में सरकार ने प्रदेश के औद्योगीकरण के लिये महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं। एक लाख से कम आबादी वाले सभी क्षेत्रों में लघु उद्योगों पर होने वाले विनियोजन पर 15% अंशदान तथा चयनित स्थानों पर राजस्थान में उत्पादित कच्चे माल पर आधारित मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर 10% अंशदान देने की व्यवस्था की है। इस वर्ष 1.25 करोड़ रुपये का अंशदान औद्योगिक विनियोजन को प्रोत्साहन देने के लिये उपलब्ध कराया जायेगा। आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक विनियोजन को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इन क्षेत्रों में भी वही सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा अपने साधनों से दी जायें जो सुविधाएं भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े जिलों में दी जाती हैं। मुझे आशा है कि इसके फलस्वरूप राज्य के पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में अधिक औद्योगिक विनियोजन हो सकेगा।

44. पिछले बजट सत्र में आपने सम्बोधन में मैंने राज्य की प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति का उल्लेख किया था। मुझे प्रसन्नता है कि चालू वर्ष में सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति की घोषणा की तथा उद्यमियों को सहायता देने की कठिन प्रक्रिया का सरलीकरण किया।

45. माननीय सदस्यों को यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जिला उद्योग केन्द्रों की योजना के अन्तर्गत राज्य के 9 जिलों में आशातीत प्रगति हुई है। इन जिलों में जहां अप्रेल, 1977 से जनवरी, 1978 तक के 10 महीनों में 2253 औद्योगिक इकाइयों का अस्थाई व 1184 इकाइयों का स्थाई पंजीकरण हुआ था। वहीं इस योजना के लागू होने के बाद अप्रेल, 1978 से जनवरी, 1979 के 10 महीनों की अवधि में 4128 इकाइयों का अस्थाई पंजीकरण तथा 1727 इकाइयों का स्थाई पंजीकरण हुआ है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा पिछले वर्ष के 10 महीनों में इन जिलों में दिये गये 1 करोड़ 62 लाख रुपये के ऋण की तुलना में इस वर्ष 3 करोड़ 74 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। बैंकों के माध्यम से पिछले वर्ष इसी अवधि में दिये गये 26 लाख रुपये के ऋण की तुलना में इस वर्ष 2 करोड़ 25 लाख रुपये के ऋण उपलब्ध कराये गये हैं। सस्ती

ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 116% वृद्धि हुई है। इस योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। राज्य में जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से हुई प्रगति को भारत सरकार ने भी सराहा है। इस योजना की सफलता से प्रेरित होकर सरकार ने अगले वर्ष तक समस्त जिलों में इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। सभी जिलों में समान रूप से इन केन्द्रों के लागू हो जाने से राज्य के औद्योगिक विकास में चहुंमुखी प्रगति हो सकेगी।

46. राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम ने इस वर्ष कई बड़ी परियोजनाएं हाथ में ली हैं। जर्मन जनवादी गणतंत्र के सहयोग से कापर फोइल एवं कापर क्लेड लेमीनेट तथा इंडियन ड्रग्स एवं फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड के सहयोग से औद्योगिक विस्फोटक बनाने के लिये इस वर्ष अनुबंध किया गया है। जर्मन जनवादी गणतंत्र की सहायता से बनने वाला कारखाना 7 करोड़ रुपये की लागत का होगा जिसमें लगभग 28 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन प्रतिवर्ष होगा। देश में अपने ढंग का यह एक ही उद्योग होगा। इसी प्रकार का धौलपुर में औद्योगिक विस्फोटकों के उत्पादन से राज्य के उद्यमियों को औद्योगिक विस्फोटक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।

47. विगत दो वर्षों में राज्य में उद्योगों की विशेष प्रगति इस बात में भी स्पष्ट होती है कि जहां राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम ने अपनी स्थापना से मार्च, 1977 तक के 8 वर्षों में 10 करोड़ 70 लाख की लागत के 6 बड़े उद्योगों को संयुक्त क्षेत्र में लगाने का अनुबंध किया था वहीं पिछले वर्ष में 4 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत के सात बड़े उद्योगों तथा इस वर्ष 20 करोड़ रुपये की लागत के 10 बड़े उद्योगों के लिए अनुबंध किया गया है। इन दो वर्षों में ही राज्य में पूर्व के 8 वर्षों में संयुक्त क्षेत्र में उद्योग लगाने में हुई प्रगति की तुलना में 230% प्रगति हुई है।

48. इस वर्ष राजस्थान वित्त निगम तथा राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा राज्य में उद्यमियों को 15 करोड़ रुपये की सहायता ऋण, हिस्सा, पूंजी व अन्य रूप से दी जायेगी जो पिछले वर्ष दी गई सहायता से लगभग 45% अधिक होगी। सरकार की नीति के अनुसार राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण का 98% ऋण छोटे उद्यमियों को दिया गया है। इसी प्रकार कच्चे माल के वितरण तथा विपणन में छोटे उद्यमियों तथा दस्तकारों का विशेष ध्यान रखा गया है। जहां 1976-77 में छोटे उद्यमियों को कुल 10,000 टन लोहा इस्पात दिया गया था वहां चालू वर्ष में उन्हें लगभग 27,000 टन लोहा एवं इस्पात दिया गया। गत दो वर्षों में कच्चे लोहे एवं इस्पात के वितरण में 270% वृद्धि हुई है। इसी प्रकार राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा जहां पूर्व से 40% हस्तकला का माल ही छोटे उत्पादकों व दस्तकारों से खरीदा जाता था वहीं अब 95% माल छोटे उत्पादकों व दस्तकारों से सीधा खरीदा जाता है।

49. बांसवाड़ा एवं अलवर में संयुक्त क्षेत्र में लगी कृत्रिम धागों की मिलों में इस

वर्ष उत्पादन प्रारंभ हो गया है। 4 करोड़ रुपये की लागत से इनके विस्तार की स्वीकृति भी भारत सरकार ने दे दी है। इसी प्रकार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की सहायता से लगाये जाने वाले हाथ घड़ी उद्योग, इण्डियन ड्रग्स एवं फार्मेस्यूटिकल्स के सहयोग से लगाये जाने वाले दवाइयों के कारखाने तथा अरावली इस्पात के कारखाने में अगले वर्ष के मध्य तक उत्पादन आरम्भ होने लगेगा। अलवर जिले के बहरोड कस्बे में एक कृत्रिम धागा बनाने का उद्योग संयुक्त क्षेत्र में व उदयपुर में कृत्रिम धागा बनाने का एक उद्योग निजी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम ने राज्य में कृत्रिम धागे के 8 अतिरिक्त उद्योग लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार को 2 लाख तकुओं का आवण्टन करने का प्रस्ताव भेजा है। सहकारी क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये की लागत की एक कपड़ा मिल हनुमानगढ़ में लगाई जा रही है।

50. राज्य में ऊन पर आधारित उद्योगों के विकास के क्रम में कनकपुरा, जोधपुर, भीलवाड़ा, रींगस चौमूं, लक्ष्मणपुरा, केकड़ी, खण्डेला, साँभर, बाड़मेर व जैसलमेर में ऊनी धागे बनाने के कारखाने लगाये जा रहे हैं।

51. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि के विनियोग के 4 बड़े सीमेंट उद्योग राजस्थान में लगाने के आशय पत्र जारी किये हैं। राज्य में सीमेंट उद्योग की संभावनाओं के कारण इस वर्ष भारत सरकार ने कोटा से चित्तौड़गढ़ के रेल मार्ग का सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त सीमेण्ट के 8 लघु कारखाने स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। इस वर्ष जिन उद्योगों के आशय-पत्र एवं अनुज्ञा-पत्र प्राप्त हुए हैं वे मुख्यतया नाइट्रोजन गैस, सल्फ्यूरिक एसिड, बाइमेटल स्ट्रिप्स, कापर एलोई एवं ब्रास स्ट्रिप्स, हाई स्पीड डीजल इंजिन, जिलेटिन कैपसूल्स, प्लास्टिक राड्स एवं सैल्यूलोज शीट्स आदि के उत्पादन से संबंधित हैं।

52. राजस्थान अपने कृषि उत्पादन, पशुपालन, हस्त उद्योग एवं हस्तकला के लिये प्रसिद्ध है। इन क्षेत्रों में राजस्थान से निर्यात की पर्याप्त सम्भावनायें हैं। अभी हाल ही में सरकार के अनुरोध पर राज्य व्यापार निगम ने अपना एक कार्यालय राजस्थान में खोला है। इसी प्रकार भारतीय मानक संस्थान का कार्यालय भी जयपुर में स्थापित हो चुका है। मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि अभी हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान से निर्यात को बढ़ाने हेतु जयपुर में एयर कारगो काम्पलैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव मान लिया है। राज्य से विदेशों को होने वाले निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार शीघ्र ही एक निर्यात प्रोत्साहन मण्डल की स्थापना करेगी। यह मण्डल राज्य के विभिन्न संस्थानों एवं निजी क्षेत्र में काम करने वाली इकाइयों को अधिक से अधिक निर्यात करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।

53. देश में चमड़े के उत्पादन में राजस्थान का अपना विशिष्ट स्थान होते हुए भी प्रदेश में चमड़ा उद्योग का अब तक समुचित विकास नहीं हो पाया है। चमड़ा उद्योग के विकास का प्रश्न अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ

है। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक विकास की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने राज्य में एक चमड़ा विकास निगम स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निगम चमड़े की वस्तुएं बनाने के लिये दस्तकारों को चमड़ा उपलब्ध करायेगा, उनके तकनीकी कौशल का विकास करेगा तथा उनके उत्पादन के विपणन की व्यवस्था करेगा।

54. राजस्थान की धरती के गर्भ में छिपे विपुल खनिज भण्डारों का समुचित दोहन अब तक नहीं हो पाया है। खनिज सम्पदा के समुचित दोहन के लिए राज्य सरकार ने अलग से एक खनिज विकास निगम की स्थापना करने का निर्णय लिया है, इससे प्रदेश में समन्वित रूप से खनिज विकास हो सकेगा। इस वर्ष भीलवाड़ा जिले के अभ्रक उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष प्रयास किये गये। अभ्रक व्यापार निगम द्वारा 1976–77 में केवल 9.5 लाख रुपये का अभ्रक राजस्थान से खरीदा गया। सरकार के विशेष अनुग्रह के फलस्वरूप पिछले वर्ष 21.6 लाख रुपये का अभ्रक राज्य से खरीदा गया। इस वर्ष लगभग 40 लाख रुपये का अभ्रक अभ्रक व्यापार निगम द्वारा राज्य से खरीदा जायेगा।

55. माननीय सदस्यों को विदित होगा कि बम्बई हाई, ताप्ती व साउथ बेसिन में बड़ी मात्रा में गैस भण्डार का पता चला है। गैस की इस राष्ट्रीय सम्पत्ति का लाभ राजस्थान को मिले इस उद्देश्य से सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य में इस गैस पर आधारित रसायनिक खाद के दो कारखाने लगाने का प्रस्ताव भेजा है।

56. राजकीय उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था में सरकार ने कई सुधार किये हैं जिसके फलस्वरूप गंगानगर शुगर मिल, डीडवाना–पचपदरा, नमक प्रतिष्ठान तथा राजस्थान वित्त निगम में लगभग 2.5 करोड़ रुपये का लाभ होगा। अन्य प्रतिष्ठानों की स्थिति में भी पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है।

57. चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार का जो कार्य सरकार ने पिछले वर्ष हाथ में लिया था उसको इस वर्ष 51 नये चिकित्सालय तथा 296 उपकेन्द्र खोलकर, नगरीय क्षेत्रों में स्थित चिकित्सालयों में लगभग 500 शय्याएं बढ़ाकर तथा अब तक 78 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जनस्वास्थ्य रक्षक योजना को लागू कर आगे बढ़ाया गया। चिकित्सालय भवनों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। मुख्य मंत्री चिकित्सालय विकास कोष के माध्यम से लगभग 30 लाख रुपये का विनियोजन जन सहयोग लेकर इस वर्ष कराया जायेगा।

58. परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस कार्य हेतु इस वर्ष 2500 दाइयों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है। आपातकालीन ज्यादतियों से इस कार्यक्रम को अप्रत्याशित रूप से धक्का पहुंचा था। सरकार इस कार्यक्रम को गति देने के लिये प्रयत्नशील है। यह कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर चले और इसमें स्वयं सेवी संस्थाओं तथा विभिन्न संस्थाओं का सहयोग मिले इस आशय से

राज्य सरकार ने एक मातृ-शिशु कल्याण एवं जनसंख्या आयोजन कोष की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इस कोष का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं, दानदाताओं व सरकार के मिले-जुले संचालक मण्डल द्वारा किया जायेगा।

59. इस वर्ष में विभिन्न स्रोतों से 12 करोड़ 52 लाख रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में जल-प्रदाय योजनाओं पर खर्च किये जायेंगे। नगरीय क्षेत्रों में जल प्रदाय योजनाओं पर लगभग 5 करोड़ रुपये का विनियोग होगा। विश्व बैंक की सहायता से लागू की जाने वाली जलप्रदाय योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 110 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में व 67 करोड़ रुपये नगरीय क्षेत्रों में जल प्रदाय योजनाओं पर खर्च किये जायेंगे।

60 वनों के पुनरुद्धार के लिये सरकार ने विशेष प्रयत्न किये हैं। विभिन्न वन विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत सड़कों, नहरों, कन्दराओं और बिगड़े वनों में लगभग 40 हजार एकड़ वनारोपण में किया गया। मरुस्थल विकास, सूखा सम्भाव्य क्षेत्रीय विकास एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत राज्य में व्यापक पैमाने पर वन विकास के कार्य हाथ में लिये गये हैं। इस वर्ष साबीजलागम क्षेत्र में भू-संरक्षण हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। वन्य जीव संरक्षण कार्य को भी नई गति प्रदान की गई है। वनों के वैज्ञानिक ढंग से विदोहन एवं प्रबंध के लिये सरकार ने वन विकास निगम स्थापित करने का निर्णय लिया है। सरकार बंजर भूमि को वन विकास के लिये आवण्टित करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है।

61. नगरों में सड़क मार्गों की देखरेख की आवश्यकता तथा नगर परिषदों की सीमित आय को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, व जोधपुर नगरों में प्रमुख सड़कों की देख-रेख सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपने साधनों से की जाये इससे इन शहरों में रहने वाली जनता को काफी सुविधा मिलेगी। जयपुर में आवासीय भूमि की आवश्यकता को देखते हुए 9 हजार एकड़ भूमि के अवाप्तिकरण की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। जनता को आवासीय भूमि आसानी से उपलब्ध हो सके इस आशय से कृषि भूमि के रूपांतरकरण की प्रक्रिया भी सरल कर दी गई है। कच्ची बस्तियों में वातावरण सुधार योजना के कार्य को महत्व दिया गया है।

62. राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में मंडियों तथा गांवों के सुनियोजित विकास के लिये सरकार ने एक मण्डी विकास निगम की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

63. बालक राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। उन पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। राज्य में इस समय 4 विकास खण्डों में समन्वित बाल विकास कार्यक्रम चल रहे हैं। अगले वर्ष इस कार्यक्रम को तीन अन्य विकास खण्डों में प्रारम्भ किया जा सकेगा। पोषाहार कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षण संस्थाओं में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। इस अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में एक राज्यस्तरीय बाल विकास कोष की स्थापना करने का भी सरकार ने निर्णय लिया है।

64. अल्पसंख्यकों के भाषाई विकास पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। राज्य

में सिन्धी एवं उर्दू अकादमियों की स्थापना की जा चुकी है। इसी शृंखला में सरकार ने टोंक में अरबी तथा फारसी के एक निदेशालय की स्थापना अभी हाल ही में की है। इसके फलस्वरूप टोंक में उपलब्ध दुर्लभ साहित्य भण्डार का शोध के लिये समुचित उपयोग हो सकेगा।

65. सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया है। जहां एक ओर अन्त्योदय योजना में 50% से भी अधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों का चयन कर उन्हें विशेष सहायता पहुंचाई गई है वहीं इन वर्गों के लिये विद्यमान विभागीय योजनाओं का गतिशीलता से क्रियान्वयन किया गया है। अनुसूचित जन जाति क्षेत्र में होने वाले विनियोजन में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 30% व 1976-77 की तुलना में 54% वृद्धि की गई है। घोषित अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बाहर भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति बड़ी संख्या में निवास करते हैं। इन व्यक्तियों के आर्थिक विकास के लिये 37 लघु अनुसूचित जन जाति खण्ड खोले गये हैं। अनुसूचित जाति के परिवारों के आर्थिक विकास के लिये एक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। इस प्रस्तावित निगम में भारत सरकार की साझेदारी भी होगी। यह निगम विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर अनुसूचित जाति के परिवारों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवायेगा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों की बंधक भूमि छुड़ाने व उनको अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटाने की प्रक्रिया को कानून में संशोधन कर अत्यन्त ही सरल कर दिया गया है।

66. राज्य सरकार के अनुरोध पर 1971 में हुए भारत-पाक युद्ध के फलस्वरूप राजस्थान में आये 46,000 विस्थापितों के पुनर्वास का निर्णय इस वर्ष केन्द्रीय सरकार ने लिया तथा इन विस्थापितों को भारतीय नागरिकता देने का निश्चय किया। इनके पुनर्वास हेतु 8करोड़ रुपये की स्वीकृति भी केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चुकी है। यह हर्ष का विषय है कि राज्य सरकार के प्रयत्नों से वर्षों से उलझी इस मानवीय समस्या का समुचित हल हो पाया है।

67. केन्द्र तथा राज्य सरकार की संतुलित आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप इस वर्ष में मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई। वस्तुतः पिछला वर्ष स्थिर मूल्यों का वर्ष रहा है। साधारणतः पूंजी निवेश में वृद्धि होने तथा जनसाधारण को अधिक आर्थिक साधनों के उपलब्ध होने पर मूल्य वृद्धि स्वाभाविक है। किन्तु राज्य में योजना आकार की वृद्धि पर अधिक पूंजी निवेश के बावजूद जुलाई, 1977 से दिसम्बर, 1978 तक मूल्य पूर्णतः स्थिर रहे हैं।

68. काम के बदले अनाज योजना के सफल क्रियान्वयन से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या हल की है। योजना के आकार में पिछले वर्ष 18% तथा इस वर्ष 19% वृद्धि करके विभिन्न क्षेत्रों में अधिक विनियोजन करने से राज्य में व्यापक तौर पर अतिरिक्त रोजगार सुविधा का सृजन हुआ। अशिक्षित या कम पढ़े-लिखे व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के

कौशल का प्रशिक्षण देने का 26 लाख रुपये की लागत का एक कार्यक्रम बनाया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार का व्यवसायिक प्रशिक्षण पाकर ये लोग आसानी से अपनी आजिविका कमा सकेंगे।

69. राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही हैं। प्रदेश में हुए विभिन्न आंदोलनों व हड़तालों को कुशलता सूझबूझ एवं दृढ़ता से निपटाया गया। राज्य में पूर्ण साम्प्रदायिक सद्भावना की विद्यमानता हमारे लिये गौरव की बात है। अपराध नियंत्रण में पुलिस विभाग की क्षमता बढ़ाने के लिये आधुनिकीकरण के कई कदम उठाये गये। पुलिस कर्मचारियों के कठिन कार्य को देखते हुए सरकार ने उनके वर्दी भत्ते, ऊंट भत्ते एवं स्थाई यात्रा भत्ते में वृद्धि की है। पुलिस कल्याण कोष के लिये 5 लाख रुपये का अनुदान भी स्वीकार किया है।

70. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पुनर्गठन के फलस्वरूप भ्रष्टाचार निरोधक व्यवस्था में सुधार हुआ है। इस पुनर्गठन के फलस्वरूप तत्परता से वर्षों से अनिर्णीत पुरानी जांचों व पंजीबद्ध प्रकरणों को निपटाया जा सका है तथा कई नई जांचें हाथ में ली जा सकी हैं। लोकायुक्त व्यवस्था के पुनर्गठन पर भी विचार किया जा रहा है।

71. सरकार की कुशल श्रम नीति के कारण प्रदेश में औद्योगिक शांति बनाये रखना सम्भव हो सका है। औद्योगिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों में जब कभी श्रम विवाद उत्पन्न हुए उनका तत्परता से निदान ढूंढा गया। औद्योगिक शांति के कारण प्रदेश में औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण विद्यमान है। मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष में प्रबन्धकों एवं श्रमिकों के सम्बन्ध और भी अधिक सद्भावनापूर्ण होंगे।

72. बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिये सरकार द्वारा 28 लाख रुपये की एक योजना बनाई गई है।

73. इस वर्ष प्रदेश में परिवहन व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। जहां पिछले वर्ष राष्ट्रीयकृत मार्गों पर 111 नई बसें लगाई गई वहीं चालू वर्ष में 525 नवीन बसों के लगाने की व्यवस्था की गई है। अगले वर्ष 570 अतिरिक्त बसें लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगले वर्ष के अन्त तक इस प्रकार 1206 अतिरिक्त बसें राष्ट्रीयकृत मार्गों पर लगा दी जायेंगी। 1976-77 के अन्त में विद्यमान 1691 बसों की तुलना में अतिरिक्त बसों की यह वृद्धि 70% होगी। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर समुचित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने की दशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। आज समिति परमिट व्यवस्था के कारण अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है। इन मार्गों पर परिवहन व्यवस्था में सुधार करने के लिये सरकार असीमित परमिट व्यवस्था लागू करने पर भी विचार कर रही है।

74. सैनिक कल्याण कार्य को गति देने के लिये राज्य में सैनिक बोर्ड का गठन किया गया है। सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधा देने के विशेष प्रयास किये हैं। एमलगमेटेड कोष तथा मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष से इस वर्ष साढ़े आठ लाख रुपये की छात्रवृत्ति इन

परिवारों के छात्रों को दी गई है। सीकर, झुन्झुनूं, नागौर के जिला स्तरीय चिकित्सालयों में भूतपूर्व सैनिकों के लिये अलग से वार्ड बनाने का निर्णय भी लिया गया है। इन वार्डों का निर्माण मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष तथा एमलगमेटेड कोष के संयुक्त विनियोजन से होगा।

75. अधिक वर्षा से राज्य के 13 जिलों में इस वर्ष बाढ़ के कारण व्यापक हानि हुई। बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत तथा बाढ़ पीड़ित परिवारों को सहायता के लिये सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपये का आवन्टन किया गया। इस वर्ष खरीफ की फसलों में नुकसान के कारण लगभग 11,000 गांवों में अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार ने "काम के बदले अनाज" योजना में अभावग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया है। अभाव स्थिति की व्यापकता एवं गंभीरता के प्रति सरकार सजग है।

76. चालू वर्ष में सरकार द्वारा किये गये विकास कार्यों की तथा अगले वर्ष के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की मैंने आपको जानकारी दी। चालू वर्ष में जो कुछ सरकार कर पाई वह उन वृहत प्रयासों का केवल एक अंशमात्र है जो सरकार को अगले वर्षों में प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु करने हैं। सरकार को अपनी कमियों का भी अहसास है। विभिन्न कठिनाइयों के होते हुए भी सरकार प्रदेश के विकास लिये कृतसंकल्प है। विकास श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी दूसरी कड़ी को बल देती है। सफलता का प्रत्येक चरण अगले चरण की आधार शिला बनकर विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। अब तक की सफलता से सरकार प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के प्रति आशान्वित है। जनता, जन प्रतिनिधि तथा सरकार की मिलीजुली त्रिवेणी से ही प्रदेश का त्वरित आर्थिक विकास संभव हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार को आपका भरपूर सहयोग मिलेगा और सरकार आपके सुझावों तथा सहयोग से लाभान्वित होगी।

77. मुख्यत: यह सत्र आगामी वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक पर विचार-विमर्श के लिये आमंत्रित किया गया है। जन कल्याण, राज्य के सर्वांगीण विकास और विशेषत: उपेक्षित वर्ग को अधिकतम लाभ देने के उद्देश्यों से प्रेरित होकर आप अगले वित्तीय वर्ष के बजट पर विचार-विमर्श करें और प्रदेश के विकास को नई दिशा दें। इस कार्य के अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1979, राजस्थान जल प्रदाय सीवरेज निगम विधेयक, 1979, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1979, राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1979, राजस्थान विधान सभा सदस्य एवं अधिकारी (परिभाषा एवं पेन्शन) विधेयक, 1979 और राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन), विधेयक, 1979 भी सरकार आपके सम्मुख विचार हेतु प्रस्तुत करेगी।

78. मुझे विश्वास है कि चालू सत्र में आप इस सदन की गरिमा एवं गौरवशाली परम्पराओं को अपने कृत्यों से और आगे बढ़ायेंगे। सरकार व आपके बीच सहयोग एवं सौहार्द की भावना बनी रहे तथा आपके कार्यों से प्रदेश के विकास को बल मिले, यही मेरी कामना है।

जयहिन्द !